


4182/2018



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH




साचिव



733477

F 733477



जि.रा. सहकारी विकास संघ लि. क्षेत्र उपनिबन्धक, गोण्डा
गोण्डा

विक्रय पत्र

- 1- भूमि का प्रकार : 1-क / (संक्रमणीय भूमिधरी) / (कृषि) / (परती)
- 2- मोहल्ला / ग्राम : ग्राम पूरे शिवा बख्तावर, परगना व तहसील व
जिला गोण्डा

साचिव

जि.रा. सहकारी विकास संघ लि.



जि.रा. सहकारी विकास संघ लि.
मुख्य अधिकारी, गोण्डा-2
कोषागार एवं विकास विभाग

00055



प्राप्तकर्ता का नाम श्री/श्रीमती श्री. राजेश कुमार
 पुत्र/पत्नी श्री श्री. राजेश कुमार
 निवासी डि.सु. अ.पा.स.रा. वि.स.परि.क्ष.
 परमना तहसील जिला अ.स.न.
 वास्ते


STAMP

मुख्य रोकडिया / रोकडिया / उप रोकडिया
 कोषागार गाण्डा-50


Defect

316

Defect



Art



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733478

F 733478

कोषागार गोण्डा-50
 14 MAR 2010
 मुख्य कोषाधिकारी
 गोण्डा

- 3- सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नं०) : खसरा नं०- 520 व 522 व 546 व 548 व 549
- 4- मापन की इकाई : हेक्टेयर

Deepak
 जिला सहकारा विकास संघ लि०
 गोण्डा

3/10
 [Redacted Stamp]

विक्रय पत्र

प्रतिफल- 48168000 स्टाम्प शुल्क- 3729100 बाजारी मूल्य - 53272000 पंजीकरण शुल्क - 20000 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 780 योग : 20780

श्री जिला सहकारी विकास संघ लि० गोण्डा द्वारा
दीपक मिश्र अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,
पुत्र श्री राघवेन्द्र नाथ मिश्रा
व्यवसाय : नौकरी
निवासी: 560 आवास विकास कालोनी गोण्डा

| | |
|-----------------------------------|---------|
| मूल्य | ₹ 50000 |
| प्राप्तकर्ता का नाम श्री/ श्रीमती | |
| पुत्र/पत्नी श्री | |
| निवासी | |
| परगना | |
| वास्ते | |


श्री. जिला सहकारी विकास संघ लि० गोण्डा द्वारा


दीपक मिश्र अधिकृत
पदाधिकारी/ प्रतिनिधि


ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक
22/03/2018 एवं 04/03/2018 बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रोकडिया / रोकडिया / रोकडिया
जोयमा 18/03/2018-20

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर


श्रीरमेश कुमार सिंह
उप निबंधक सदर
गोंडा






उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733478

F 733479



- | | | | |
|----|-----------------------|---|--|
| 5- | सम्पत्ति का क्षेत्रफल | : | 5.3520 हेक्टेयर |
| 6- | सम्पत्ति का प्रकार | : | 1-क / (संक्रमणीय भूमिधरी) / (कृषि) / (परती) |
| 7- | प्रतिफल की धनराशि | : | रु० 4,81,68,000.00 |

Deval

उत्तर प्रदेश विकास संघ लि.
गोंडा

314



उत्तर प्रदेश विकास संघ लि.
गोंडा

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता: 1

श्री जिला सहकारी विकास संघ लि० गोण्डा के
द्वारा दीपक मिश्र, पुत्र श्री राघवेन्द्र नाथ मिश्रा

निवासी: 560 आवास विकास कालोनी गोण्डा


व्यवसाय: नौकरी

क्रेता: 1

श्री उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिसर लखनऊ
के द्वारा अजय कुमार मिश्र, पुत्र श्री ओमकार
गुप्ता

निवासी: 18/320 सेक्टर 18 डी ए० वी० स्कूल के
पास इन्दिरा नगर लखनऊ 226016

व्यवसाय: नौकरी



प्राप्तकर्ता का नाम श्री/श्रीमती

पुत्र/पत्नी श्री

निवासी

परगना तहसील

वास्ता



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान


पहचानकर्ता: 1

श्री मनमोहन श्रीवास्तव, पुत्र श्री लाल मोहन
श्रीवास्तव

निवासी: म० नं० 576 एम०आई०जी० राधिका
विहार कालोनी फेज-1 कृष्णानगर मथुरा

व्यवसाय: नौकरी

पहचानकर्ता: 2



श्री दुर्गाप्रसाद, पुत्र श्री लेखराम मिश्रा

निवासी: बनवरिया परगना तहसील व जिला गोण्डा
271001

व्यवसाय: नौकरी



जिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की। प्रत्यक्षतः अद्र साक्षियों के निशान अंगूठे

नियमानुसार लिए गए हैं।


टिप्पणी:

शैलेन्द्र कुमार सिंह

उप निबंधक: सदर

गोंडा






उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733481

F 733481



सहायक महानिरीक्षक निबन्धन,

गोण्डा के पत्रांक 31/शि0स0-2018,

दिनांक 27.01.2018 के अनुसार कुल

Defalc



3/16



00053





2

10/3/18 स्टाम्प मूल्य 25000/-
 प्राप्तकर्ता का नाम श्री/श्रीमती _____
 पुत्र/पत्नी श्री _____
 निवासी _____
 परगना _____ तहसील _____ जिला _____
 वास्ते _____

मुख्य रोकडिया _____
 कोषाचार मंडल-अ

00053





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733480

F 733480

कोषागार गोण्डा-50
 14 MAR 2018
 मुख्य कोषाधिकारी
 गोण्डा

स्टाम्प रू0 37,29,040.00 अदा किया

गया। यह विक्रय विलेख आज

दिनांक मार्च सन् 2018 ई0 को

Deyak
 राधव
 ग्रामी विकास संघ लि0
 गोण्डा

3/16
 कोषाधिकारी
 कोषागार, गोण्डा-50
 2020 कायदा एवं विवाद विभाग

00055




10/03/18
 प्राप्तकर्ता का नाम श्री/श्रीमती _____
 पुत्र/पत्नी श्री _____
 निवासी _____
 परगना _____ तहसील _____ जिला _____
 वास्ते _____

मुख्य सेक्रेटरी / _____ सेक्रेट्रिय
 काँग्रेस पार्टी - 19

00055






उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733482

F 733482



जिला सहकारी विकास संघ लिमिटेड,

गोण्डा द्वारा विक्रय हेतु जिला सहकारी

विकास संघ लि०, गोण्डा के संचालन


Deepak



सचिव
जिला विकास संघ लि०




मुख्य कोषाधिकारी
गोण्डा



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733483

F 733483



मण्डल की बैठक दिनांक 07.06.2017


द्वारा लिये गये निर्णयानुसार तथा अपर

जिलाधिकारी, गोण्डा के पत्रांक

Deepak

जिलाधिकारी
 गोण्डा


3/16



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

H 733484

F 733484



64 / 2017-18, दिनांक 17.07.2017


(संलग्नक-1 व 2 पर दृष्टव्य है) द्वारा

अधिकृत, सचिव श्री दीपक मिश्र पुत्र श्री

Deepak

3/16






उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733485

F 733485



राघवेन्द्र नाथ मिश्रा, निवासी म० न० 560,

आवास विकास कालोनी, शहर, परगना


व तहसील व जिला गोण्डा। PAN No.

Delek

316

आवास विकास गोण्डा


गोण्डा



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

733486

F 733486




- AAATD5748E, Aadhaar No.
- 290849217865 (संलग्नक-3 व

Deepak

 सचिव
 व. सरकारी विकास समिति
 गोपडा


2/11/19



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733488

F 733488




4 पर दृष्टव्य है), Mobile No. -

8874253000 (जिसे एतदपश्चात्

Devi
 मुख्याधिकारी विकास विभाग
 गोंडा

314
 [Redacted]



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733489

F 733489

कोषागार गोपडा-5(

14 MAR 2018

मुख्य कोषाधिकारी

गोपडा

प्रथम पक्ष विक्रेता कहा गया है) एव

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास

परिषद, जिसका गठन उत्तर प्रदेश

Dayal




उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

13



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733487

F 733487

कोषागार गोण्डा-50
 14 MAR 2018
 मुख्य कोषाधिकारी
 गोण्डा

आवास एवं विकास परिषद अधिनियम,

1965 के अन्तर्गत किया गया है और

जिसका मुख्यालय 104, महात्मा गाँधी

Signature




परकारी विकास विभाग
गोण्डा

Signature




मुख्य कोषाधिकारी
गोण्डा



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733490

F 733490



मार्ग, लखनऊ पर स्थित है, (जिस


एतदपश्चात् "परिषद" कहा गया है) के

आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं

Dnyalok
मुख्य कार्यवाहकरी
गोण्डा

3/14
मुख्य कार्यवाहकरी
गोण्डा


15



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733491

F 733491



विकास परिषद के आदेश

सं०-2009 / एल०ए०सी० / एच०क्यू०,

दिनांक 25.01.2018 (संलग्नक-5 पर

Deyak




विकास परिषद
गोपडा



मुख्य कार्यालय
गोपडा

16



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733492

F 733492

कोशागार गोण्डा-50
 14 MAR 2011
 मुख्य कार्यपालक


दृष्टव्य है) द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि,

अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2,

उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद,

Dayal
 सचिव
 आवासीय विकास एवं
 निर्माण


3/14
 सचिव
 आवासीय विकास एवं
 निर्माण



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733493

F 733493



भूतनाथ आफिस कॉम्प्लेक्स, (तृतीय तल),


इन्दिरा नगर, लखनऊ-226016 (उप्र),

दूरभाष 0522-2351082 को परिषद पक्ष

Darfat


मुख्य कार्यालयकारी
गोण्डा





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733494




में विक्रय पत्र निष्पादित करने के लिए

अधिकृत किया गया है, (जिसे

एतदपश्चात द्वितीय पक्ष क्रेता कहा

Jeyal
 साचव
 विकास


316
 316



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

733495

F 733495



गया है) के मध्य निष्पादित किया गया


है।

Sanjay

साध्य
सहायक, विकास एवं वि.
गोपडा

Sanjay


मुख्य कोषाधिकारी
कोषागार गोपडा-5



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

1 288487

F 733497



1- स्टाम्प शुल्क मय विकास शुल्क

रु0 37,29,040.00 (सहायक महानिरीक्षक

निबंधन, गोण्डा द्वारा अपने पत्रांक 31

Deepak




सचिव

मुख्य कोषाधिकारी
गोण्डा



मुख्य कोषाधिकारी
गोण्डा


21



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733498

F 733498



/ शि०स० / 2018, दिनांक 27.01.2018

द्वारा आगणित एवं सूचित, जो कि

Dayal




सचिव
राजकी विकास संघ लि०
जोण्डा



श्री. एम. पी. मिश्रा
जो. को. जो. जो. जो.
जो. जो. जो. जो. जो.


22



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733500

F 733500



निबंधन का भाग है तथा इस विक्रय पत्र

के संलग्नक-6 पर दृष्टव्य है।

Deepak




सादेव
जिला सचिवकी नि...



दो संख्या विक्रय
काशीनगर, काशी

23



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733502

कोषागार गोण्डा-50
 14 MAR 2018
 मुख्य अधिकारी
 गोण्डा

2- विक्रीत भूमि गोण्डा नगर

पालिका परिषद, गोण्डा की सीमा के बाहर स्थित है।


Deval



कोषागार गोण्डा
मुख्य अधिकारी

साचिव
नगर सारकारी विकास संघ
गोण्डा

24



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733504

F 733504

कोषागार गाण्डा-

14 MAR 2018

मुख्य कोषागार

गाण्डा

3- विक्रीत भूमि का सर्किल रेट

जिलाधिकारी महोदय द्वारा जारी सूची

जो दिनांक 01.08.2017 ई० से प्रभावी है,

Dayal




साधिव
गाण्डा के विकास

34



गाण्डा के विकास


25



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

733505

F 733505



सूची के पृष्ठ-84 क्रमांक 334 के कॉलम

09 एवं 10 के अनुसार खसरा सं०

548 एवं 549 के भूमि का रेट रु०

Danfall




राज्य
कृषि विपणन बोर्ड
गोण्डा

314



राज्य
कृषि विपणन बोर्ड
गोण्डा


26



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

भारत 02

F 733503



1,20,00,000.00 प्रति हेक्टेयर निर्धारित है

लेकिन खसरा संख्या 546 भूमि की 200

मीटर की त्रिज्या में आवासीय गतिविधियां

Devalak




साधु
जिला सहकारी विकास समिति
गोण्डा

3/11



मुख्य अधिकारी कारो
गोण्डा

27



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733501

कोषागार गोण्डा-50
 14 MAR 2018
 मुख्य प्रोब. विक. शि.
 गोण्डा

विद्यमान होने पर निर्धारित कृषि भूमि दर

में 30 प्रतिशत की वृद्धि करके, तथा

खसरा सं० 520 व 522 रू० 80,00,000.00

Duyalek




सचिव
जिला विकास न्याय विभाग

3/14



जिला विकास न्याय विभाग
कोषागार गोण्डा

25



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

11/20/2018

F 733499

कोषागार गोण्डा-

14 MAR 2018

मुख्य कोषागार

प्रति हेक्टेयर की दर से स्टाम्प देय है,

जिसके अनुसार उक्त भूमि का सर्किल

दर औसत रु0 99,53,662.18 प्रति

Deyal




साथीव
 प्रहलाद विकास
 गोण्डा



मुख्य कोषागार
 गोण्डा


29



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733486

F 733496



हेक्टेयर होता है, लेकिन प्रथम पक्ष

द्वितीय पक्ष के मध्य उक्त भूमि का सौदा

रु० 90,00,000.00 प्रति हेक्टेयर की दर

Dayal




सचिव

कार्यकारी विकास आ...



...



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733506

कोषागार गोण्डा-5
 14 MAR 2018
 मुख्य कोषागार

से तय हुआ है, इसलिए द्वितीय पक्ष

परिषद द्वारा सहायक महानिरीक्षक

निबन्धन गोण्डा के पत्रांक 31/शि0स0


Daylate



साचिव
 स.स.क.सी विकास संघ लि.
 गोण्डा




कोषागार
 गोण्डा



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

733507

F 733507



/2018, दिनांक 27.01.2018 के अनुसार

नवीन सर्किल दर जो दिनांक 01.08.2017

से प्रभावी है, के आधार पर गणना करते

Deval




सचिव
महानगर विकास संघ



सचिव
महानगर विकास संघ

32



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733508

F 733508

कोषागार गोण्डा-5
 14 MAR 2019
 मुख्य कोषाधिकारी
 गोण्डा

हुए कुल कीमत रू0 5,32,72,000.00 पर

स्टाम्प अदा किया गया है।

Dunfall




विधायक
 सहकारी विकास समिति
 गोण्डा



14 MAR 2019
 मुख्य कोषाधिकारी
 गोण्डा


33



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

7733510

F 733510



4- विक्रीत भूमि का विक्रय मूल्य रु0

4,81,68,000.00 है ।

Deepak




14 MAR 2010
 कोषाभार खाण्डा-80
 कोषाभार

314



14 MAR 2010
 कोषाभार खाण्डा-80
 कोषाभार

34



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733512

F 733512

कोषागार गोण्डा-50

14 MAR 2018

मुख्य न्यायिक कार्यालय

गोण्डा

5. विक्रेता अनुसूचित जाति, अनुसूचित

जनजाति, आदिवासी जाति से नहीं हैं।


Deepak

मुख्य न्यायिक कार्यालय
गोण्डा

3/11

मुख्य न्यायिक कार्यालय
गोण्डा

35



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733513

कोषागार गोण्डा-50
 14 MAR 2018
 मुख्य कोष अधिकारी

यह कि परिषद द्वारा यह निर्णय

लिया गया है कि उत्तर प्रदेश जनपद

गोण्डा, ग्राम पूरे शिवा बख्तावर में उत्तर

Dayal




सचिव
 गांधी विधान सभा



13/3/18
 मुख्य कोष अधिकारी

36



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

733514

F 733514

कोषागार गोण्डा-56

14 MAR 2009

मुख्य कोषागारी
गोण्डा

प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

अधिनियम-1965 (जिसे एतदपश्चात्

"परिषद अधिनियम" कहा गया है) में

Deepak




साधन
शेला सहकारी विकास संघ लि.
गोण्डा

3/14



शेला सहकारी विकास संघ लि.
गोण्डा

37



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733515

F 733515


कोषागार गोपडा-50
 14 MAR 2018
 मुख्य कोषाधिकारी
 31/3/18

निहित धाराओं के तहत भूमि विकास एवं

गृहस्थान योजना की कार्यवाही की


जाये।

Deepak


31/3/18


मुख्य कोषाधिकारी
 कोषागार गोपडा-50
 31/3/18


38



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733516

F 733516



यह कि उक्त ग्राम पूरे शिवा

बख्तावर, गोण्डा-फैजाबाद मार्ग भूमि एवं

Deylale




सहायक विकास अधिकारी
गोण्डा



मुख्य कार्यालय
गोण्डा


39



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

733519

F 733519



गृहस्थान योजना, गोण्डा हेतु 5.3520

हेक्टेयर अर्थात लगभग 13.22 एकड़ भूमि

शासनादेश संख्या 2/2015/215/एक


Deepak



मुख्य कोषाधिकारी
गोण्डा




मुख्य कोषाधिकारी
गोण्डा



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733520

F 733520



-13-2015-20(48)/2011 राजस्व अनुभाग-13

दिनांक 19/03/2015 एतद् पश्चात्

निर्गत शासनादेश संख्या 1/2016/385

Dangal




विशेष
जिला सहकारी निष्ठा, को
शुभ

3/15




कोषागार गोण्डा
मुख्य कार्यधिकारी
गोण्डा



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733521



/8-3-16-309 विविध/15 आवास एवं

शहरी नियोजन अनुभाग-3, दिनांक

21/03/2016 (जिसे एतदपश्चात् उक्त


Deylall

विशेष
जिला सहकारी विकास अधिकारी
गोण्डा

3/14

डि. सहकारी विकास
अधिकारी, गोण्डा
2019 सालक एवं नियोजन वि. 11


42



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733522

F 733522



"शासनादेशों" कहा गया है) के द्वारा

निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संबंधित

भू-स्वामी (जिला सहकारी विकास संघ


Deepak

जिला सहकारी विकास संघ
 गोण्डा

3/11

जिला सहकारी विकास संघ
 गोण्डा

43



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

733523

F 733523

कोषागार गोण्डा-50
 14 MAR 2019
 मुख्य कोषाधिकारी
 गोण्डा

लि0, गोण्डा) से आपसी समझौता के

आधार पर भूमि क्रय की जा रही है।


Deval


3/14

 14 MAR 2019
 मुख्य कोषाधिकारी
 गोण्डा

साधेव
 गा. सरकारी विकास बोर्ड
 गोण्डा

44



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733525

कोषागार गोण्डा-50

14 MAR 2018

मुख्य कोषाधिकारी
गोण्डा

यह कि भूमि अर्जन पुनर्वासन

और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और

पारदर्शिता का अधिनियम-2013 (जिसे

Deepak




जिला सहकारी विकास संघ
गोण्डा

3/3/18



मुख्य कोषाधिकारी
गोण्डा

45-



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733526

F 733526

कोषागार गोण्डा-50

14 MAR 2018

मुख्य कोषाधिकारी
गोण्डा

एतदपश्चात् "अर्जन अधिनियम-2013

कहा गया है) की धारा-46 के प्रयोजन

से उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने

Dayal




सचिव
राज्य सहकारी विकास संघ लि.
गोण्डा



कोषागार गोण्डा-50
मुख्य कोषाधिकारी
गोण्डा

46



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733527

F 733527
 कोषागार गोण्डा-50
 14 MAR 2015
 मुख्य कोषाधिकारी
 गोण्डा

शासनादेश संख्या-2 / 2015 / 215 / एक

-13-2015-20(48) / 2011 राजस्व अनुभाग


-13, दिनांक 19.03.2015 एतद् पश्चात्

Deepak

सचिव
 प्रस्ताव सहायकी विकास संघ

3/15

47



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733528

F 733528

कोषागार गोण्डा-50
 14 MAR 2018
 मुख्य कोषाधिकारी
 गोण्डा

निर्गत शासनादेश संख्या-1/2016/

385/8-3-16-309 विविध/15 आवास

एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3, दिनांक

Duflak




साथिय
 नेता सहकारी विकास संघ लि
 गोण्डा



कोषागार
 गोण्डा

40



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733529

F 733529

कोषागार गोण्डा-50
 14 MAR 2018
 मुख्य कोषाधिकारी
 गोण्डा

21.03.2016 द्वारा निजी बातचीत के

माध्यम से भूमि क्रय की सीमा 10 एकड़

से अधिक निर्धारित किया है।


DuPalle

साधेव
 श्रमिकी विकास संघ लि०
 गोण्डा

3/14

श्री एच० विरूपा
 श्री एच० विरूपा
 श्री एच० विरूपा


49



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733530

F 733530



शासनादेशों दिनांक 21.03.2016 द्वारा

निजी बातचीत के माध्यम से भूमि क्रय

की सीमा 10 एकड़ से अधिक है,

Deval




संयोजक
सामाजिक विकास समिति
गोण्डा

अम



कोषागार गोण्डा
मुख्या कोषाधिकारी
गोण्डा

50



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733531

कोषागार गोण्डा-5
 14 MAR 2018
 मुख्य कोषाधिकारी
 गोण्डा

जिसका अनुमोदन परिषद द्वारा किया
 गया है।

Darshan




साथिय
 शासकीय विकास
 गोण्डा

3/14



कोषागार
 गोण्डा

51



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733533

कोषागार गोण्डा-50

14 MAR 2015

मुख्य काषाधिकारी
गोण्डा


यह कि अर्जन अधिनियम-2013
की धारा-46(5) के प्रयोजन से राज्य
सरकार ने शासनादेश संख्या 2/2015
/215/एक-13-2015-20(48)/2011

Duspal


साथ
भारतीय विद्यालय संघ लि.
गोण्डा

3/14

मुख्य काषाधिकारी
गोण्डा



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



राजस्व अनुभाग-13 दिनांक 19.03.2015
में वर्णित समझौता पत्र सहमति के
आधार पर जिला (मध्य एवं वृहद
परियोजना) क्रय की दर तथा कुल भूमि


Deefall

सचिव
जिला सहकारी विकास संघ
गोपडा

3/14

कोषागार गोपडा-50
मुख्य कोषाधिकारी
गोपडा

53



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733532

कोषागार गोण्डा-50
14 MAR 2018
मुख्या अधिकाशी
गोण्डा

मूल्य अनुमोदन समिति के निर्णयानुसार

जिसे एतदपश्चात निर्गत शासनादेश

संख्या 1 / 2016 / 385 / 8-3-16-309

विविध / 15 आवास एवं शहरी नियोजन

Deepak



सचिव


शहकारी विकास संघ लि०
गोण्डा

3/11



मुख्या अधिकाशी
गोण्डा

54



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733524

F 733524

कोषागार गोण्डा-50
 14 MAR 2016
 मुख्य कर्मपाधिकारी
 गोण्डा

अनुभाग-3, दिनांक 21.03.2016 जिसे
 एतदपश्चात शहरी आवास एवं पुनर्वास
 नीति 2014 के अन्तर्गत शासनादेश कहा
 गया है, के द्वारा शहरी आवास एवं


Jeetendra


सचिव
 कृषि सहकारी विकास समिति
 गोण्डा

3/16


सचिव
 कृषि सहकारी विकास समिति
 गोण्डा


55



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733518

F 733518



पुनर्वास नीति 2014 हेतु भूमि क्रय हेतु
 भूमि की अधिकतम सीमा 10 एकड़ से
 अधिक नियत की गयी है।

Danfak




साथ में
 सेवा सहकारी विकास संघ
 गोपडा

3/14



उत्तर प्रदेश
 काशीनगर
 गोपडा

56



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733511

F 733511

कोषागार गोण्डा-50
 14 MAR 2024
 मुख्य कोषागार
 गोण्डा

यह कि परिषद द्वारा उक्त
 शहर/ग्राम पूरे शिवा बख्तावर जनपद
 गोण्डा योजना हेतु आपसी समझौते के
 आधार पर प्रस्तावित खसरा संख्या 546,


Deepak



राजेश
 जिला सहायक विकास अधिकारी
 गोण्डा

3/14






उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733509

F 733509



548, 549, 520 व 522 की कुल 5.

3520 हेक्टेयर या 13.22 एकड़ भूमि को

क्रय किया जाना है। चूँकि शासनादेश

दिनांक 21.03.2016 के निर्धारित सीमा से


Deepak

साध्व
जिला सहकारी विकास बोर्ड
गोण्डा

315

मुख्य बगेवाधिकारी
गोण्डा

50



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733538

F 733538

कोषागार गोण्डा-50

14 MAR 2019

मुख्य कोषाधिकारी
गोण्डा


अधिक है। अतः विक्रीत 13.22 एकड़
भूमि के क्रय हेतु परिषद या अर्जन
अधिनियम-2014 के प्राविधान के अनुसार

Dupfel

विद्य
विकास संघ लि
गोण्डा

3/14


मुख्य कोषाधिकारी
गोण्डा



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733539

F 733539



शहरी आवास एवं पुनर्वास नीति-2014

में खर्च का संदाय अपेक्षित नहीं है।

Deepak




साचिव
सहकारी विकास संघ
गोण्डा



10/10/18
10/10/18
10/10/18

60



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733541

F 733541

कोषागार गोण्डा-50
 14 MAR 2010
 मुख्य कोषाधिकारी
 गोण्डा

यह कि परिषद की उक्त
 शहर/ग्राम पूरे शिवा बख्तावर, गोण्डा
 योजना क्षेत्र में स्थित 5.3520 हेक्टेयर या
 13.22 एकड़ भूमि जिसका विवरण इस


Devshek


साचिव
 जिला सहकारी विभाग

314


मुख्य कोषाधिकारी
 गोण्डा

61



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733542

F 733542

कोषालार गोण्डा-50

14 MAR 2018

मुख्य दफ्तराधिकारी
गोण्डा

विक्रय विलेख की अनुसूची-1 में है
(जिसे एतदपश्चात विक्रीत भूमि कहा
गया है) को विक्रेता (जिला सहकारी

Deefelt




साधन
जिला सहकारी विकास
गोण्डा

3/14



मुख्य दफ्तराधिकारी
गोण्डा



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733543

F 733543

कोषागार गोण्डा-50

14 MAR 2018

मुख्य दफ्तराधिकारी
गोण्डा

विकास संघ लि०, गोण्डा) परिषद के पक्ष
में विक्रय करने में सहमत है।

Deepak




राधिय
सहकारी विकास संघ लि०
गोण्डा

3/14




सं. प्र. सं. वि. सं. सं.
सं. सं. सं. सं. सं.
सं. सं. सं. सं. सं.



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733545

F 733545



यह कि विक्रेता ने परिषद को
यह विश्वास दिलाया है कि वह विक्रीत
भूमि का वास्तविक स्वामी है तथा उसे
विक्रीत भूमि को हस्तान्तरित करने का

Danpal




सचिव
केन्द्रा सड़कारी विकास संघ लि.
गोपडा



श्री लालू मिश्रा
जी. पी. रोड, ब्लाक-2
कोषागार नं. 15, लखनऊ

64



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733546

F 733546

काशीगार गोण्डा-5
 14 MAR 2018
 मुख्य अधिकारी
 गोण्डा

विधिक अधिकार है एवं विक्रीत भूमि का
 वास्तविक और वैधानिक कब्जा विक्रेता में
 निहित है।

Deepak




सावित्र
 शकरी विकास संघ लि०
 गोण्डा

3m



श्री एम.के. विकास
 गोण्डा-5, उत्तर प्रदेश
 काशीगार गोण्डा-5



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH


F 733548

कोषागार गोण्डा-50
 14 MAR 2018
 मुख्य कोषाधिकारी
 गोण्डा


यह कि विक्रेता ने परिषद को
 यह विश्वास दिलाया है कि यह विक्रीत
 भूमि विक्रेता के विभाग के नाम राजस्व
 अभिलेखों में दर्ज है तथा विक्रीत भूमि

Deyal

 सचिव
 जिला सहकारी विकास बोर्ड लि.
 गोण्डा

3/14

 जिला सहकारी विकास बोर्ड लि.
 गोण्डा

66



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733549

कोषागार गोण्डा-50

14 MAR 2018

मुख्य की अधिकारी
गोण्डा

आज की तिथि तक प्रत्येक प्रकार के
ऋण व भार आदि से मुक्त है और
उसमें कोई वैधानिक दोष व त्रुटि नहीं है

Deepak




राधेश
आ राज्यी विकास संघ लि
गोण्डा

3/14



कोषागार गोण्डा-50
मुख्य की अधिकारी
गोण्डा

67



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733551

कोषागार गोण्डा-50
 14 MAR 2018
 मुख्य कोषाधिकारी
 गोण्डा

एवं विक्रीत भूमि स्वामित्व विवाद से
 रहित तथा भार मुक्त है।

Deyfel




साधिव
 जिला सहाकारी विकास संघ
 गोण्डा

3/14



कोषागार
 गोण्डा

68



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733553

F 733553

कोषागार गोण्डा-
 14 MAR 2018
 मुख्य कोषाधिकार
 गोण्डा

यह कि विक्रेता के अनुरोध पत्र

सं० 67-72, दिनांक 27.01.2015 के

दृष्टिगत इस भूमि को क्रय किये जाने

हेतु परिषद के निदेशक मण्डल की


Dimple

साधिका
 जिला सहकारी विकास बोर्ड
 गोण्डा

314

जिला सहकारी विकास बोर्ड
 गोण्डा

69



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733554

F 733554

कोषागार गोण्डा-50

14 MAR 2018

मुख्य कोषाधिकारी
गोण्डा

अनुमति आवश्यक है, जिसके परिप्रेक्ष्य में
 चाही गयी अनुमति परिषद के निदेशक
 मण्डल, लखनऊ की दिनांक 26/03
 /2015 को हुई 232वीं बैठक तथा

Deepak




नाथिव
 जिला सहकारी विकास संघ लि.
 गोण्डा



मुख्य कोषाधिकारी
 कोषागार गोण्डा

70



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733555

F 733555

कोषागार गोण्डा-5

14 MAR 2018

मुख्य कोषाधिकारी
गोण्डा

दिनांक 20.09.2016 को हुई 238वीं बैठक
में लिए गए निर्णय के अनुसार विक्रीत
भूमि को समझौता के आधार पर क्रय
करने की अनुमति पत्रांक 2009 /


DuPak



साचेव
जिला सहकारी विकास बोर्ड
गोण्डा




डा. एम. ए. शर्मा
मुख्य कोषाधिकारी
गोण्डा



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733556

F 733556



एल०ए०सी० / एच०क्यू० / दिनांक 25.01.2018

द्वारा प्रदान की गयी है।

Dupak




साधिका
संघ विकास संघ लि०
गोण्डा



मुख्य कोषाधिकारी
गोण्डा


72



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733558

F 733558




.यह कि परिषद की अनुमति पत्र सं०
27 / एल०ए०सी० / एच०क्यू०, दिनांक 07 / 04 / 2015
के पश्चात नियोजन समिति के द्वारा
दिनांक 20.12.2017 में लिये गये निर्णय

Deepak
साचिव
श्री सहकारी विकास
गोण्डा

3/14
मुख्य कोषाधिकारी
गोण्डा

73



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733557

F 733557

कोषागार गोण्डा-50

14 MAR 2018

मुख्य कोषाधिकारी
गोण्डा

तथा मुख्यालय के पत्रांक 1927 / दिनांक
 17 / 01 / 2018 के अन्तर्गत परिषद एवं
 जिलाधिकारी, गोण्डा तथा क्रेता की
 संयुक्त रूप से दिनांक 18 / 01 / 2018

Dupak




साधेव
 जिला सहायकी विकास अधिकारी
 गोण्डा

3/4



मुख्य कोषाधिकारी
 गोण्डा

74



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733552

F 733552

कोषागार गोण्डा-8

14 MAR 2018

मुख्य कोषाधिकारी

गोण्डा

ई0 को बैठक हुई तथा शासनादेश सं0
 385 / 8-3-16-309विविध / 15, दिनांक
 21.03.2016 में निर्धारित प्रक्रिया के
 अनुसार विक्रीत भूमि का मूल्य रु0

Dupak




साधिव
 जिला सहकारी विकास संघ
 गोण्डा

3/14



जिला सहकारी विकास संघ
 गोण्डा



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733550 F 733550

कोषागार गोण्डा-50
 14 MAR 2018
 मुख्य कोषाधिकारी
 गोण्डा

90.00 लाख प्रति हेक्टेयर तय हुआ,
 जिसके अनुसार विक्रीत भूमि जिसका
 क्षेत्रफल 13.22 एकड़ का विक्रय मूल्य
 कुल कीमत अंकन रु0 4,81,68,000.00

Duplex




साधव
 जिला सहकारी विकास संघ लि.
 गोण्डा

3/14



कोषागार
 जिला सहकारी विकास संघ लि.
 गोण्डा



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733547


F 733547

कोषागार गोण्डा-5
 14 MAR 2018
 मुख्य कोषाधिकारी
 गोण्डा


(रुपये चार करोड़ इक्यासी लाख
 अड़सठ हजार मात्र) है।

Deval


राज्य
 सेवा विकास संघ
 गोण्डा

3/14

 राज्य सेवा विकास संघ
 गोण्डा

77



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733559

F 733559

कोषागार गोण्डा-5
 14 MAR 2016
 मुख्य कोषाधिकारी
 गोण्डा

यह कि विक्रेता, विक्रीत भूमि को
 संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबन्धक,
 देवी पाटन मण्डल, गोण्डा के पत्रांक
 214 / क्र०वि० / दिनांक 02, अगस्त, 2016

Duplik




साधिव
 कृषि विकास सोसायटी
 गोण्डा



कोषाधिकारी
 कोषागार गोण्डा

70



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733560

F 733560

कोषागार गोण्डा-5।
 14 MAR 2018
 मुख्य कोषाधिकारी
 गोण्डा

के आदेश के क्रम में स्थिर बुद्धि व
 स्वस्थ इन्द्रियों की दशा में रू०
 4,81,68,000.00 (रूपये चार करोड़

Duafak




सांचप
 सरकारी विकास कर्म सिंह
 गोण्डा

3/14



कोषागार
 गोण्डा-5।
 मुख्य कोषाधिकारी

79



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

= 72854

F 733544

कोषागार गोण्डा-50
 14 MAR 2018
 मुख्य कापाडिवर्डी
 गोण्डा

इक्यासी लाख अड़सठ हजार मात्र) में
 परिषद को विक्रय करने से सहमत है।

यह कि उक्त शासनादेशों में
 निर्धारित प्रक्रियानुसार परिषद एवं विक्रेता


Dupak

34



साथिय
 ना सहकारी विकास संघ लि०
 गोण्डा


मुख्य कापाडिवर्डी
 गोण्डा



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

733561

F 733561



के मध्य परस्तर सहमति से रू० 90.00
लाख प्रति हेक्टेयर की दर से संदर्भित
भूमि को क्रय/विक्रय किये जाने का
समझौता हुआ, जो इस विक्रय पत्र के

Dunfak




सांचिव
शकरी विकास संघ लि०
गोण्डा

3/14




मुख्य कोषाधिकारी



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733562

F 733562



संलग्नक-7 से संलग्नक-12 पर दृष्टव्य
है।

Dupak




राज्य
सहकारी विकास संघ लि.
गोंडा

3/14




82



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733564

F 733564



अतः यह विक्रय पत्र निम्न का साक्षी
है तथा परिषद एवं विक्रेता निम्न शर्तों
से आबद्ध होते हैं :-


Drafak


साधिव
जिला सहकारी विकास संघ लि.
गोंडडा

अमि


एच. एच. एच. लि.
जिला सहकारी विकास संघ लि.
गोंडडा

03



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733563

F 733563

कोषागार गोण्डा-50
 14 MAR 2018
 मुख्य कोषाधिकारी
 गोण्डा

1- विक्रीत भूमि का (जिसका विवरण अनुसूची-1 में है) परिषद के पक्ष में विक्रय के प्रतिफल स्वरूप परिषद के द्वारा विक्रेता (जिला सहकारी विकास

Deyell




साचिव
 जिला सहकारी विकास संघ लि.
 गोण्डा

3/14




मुख्य कोषाधिकारी
 कोषागार गोण्डा-50



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

733565

F 733565



संघ लि०, गोण्डा) को रू० 4,81,68,000.00

(रूपये चार करोड़ इक्यासी लाख

अड़सठ हजार मात्र) जिसका आधा रू०

2,40,84,000.00 (रूपये दो करोड़ चालीस

Deyell




सचिव
गोला सहकारी विकास संघ लि०

3/4



मुख्य कोषाधीन कार्यालय

85



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733566

F 733566

कोषागार गोण्डा-50

14 MAR 2018

मुख्य कार्यालय
गोण्डा

लाख चौरासी हजार मात्र) होता है, दि०
30.01.2018 को अदा कर दिया गया है
और उक्त प्रतिफल की धनराशि का
विवरण इस विक्रय विलेख की

Dupak




साधिव
राजकारी विकास संघ लि०
गोण्डा

3/11



14 MAR 2018
मुख्य कार्यालय
गोण्डा


06



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733567

F 733567



अनुसूची-2 में दी गयी है तथा विक्रेता
 उक्त प्रतिफल की धनराशि की पावती
 स्वीकार करता है।

Deepak




विकास सेवक लि०
 23



कोषागार गोण्डा-50
 14 MAR 2018
 मुख् कोषाधिकारी
 गोण्डा


07



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

733568

F 733568



2- यह कि विक्रेता (जिला सहकारी विकास संघ लि०, गोण्डा) ने विक्रीत भूमि की बावत किसी सरकारी, गैर सरकारी बैंक अथवा वित्तीय संस्था से

Deepak




मुख्य
जिला सहकारी विकास संघ लि०
गोण्डा

3/14



मुख्य कोषाधिकारी
कोषागार, गोण्डा-50
उत्तर प्रदेश

88



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733570

F 733570

कोषागार गोण्डा-5
 14 MAR 2018
 मुख्य कोषाधिकारी
 गोण्डा

कोई ऋण/लोन आदि नहीं लिया है,
 तथा विक्रीत भूमि का आज से पूर्व किसी
 भी व्यक्ति के हक में बैनामा व
 इकरारनामा रजिस्टर्ड/अन रजिस्टर्ड

Deepak




सचिव
 जिला सहकारी विकास बोर्ड
 गोण्डा

3/4



सचिव
 जिला सहकारी विकास बोर्ड
 गोण्डा


89



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

- 18307

F 733571



नहीं किया है, तथा विक्रीत भूमि के
स्वामित्व की बावत किसी भी न्यायालय
में कोई वाद विवाद नहीं चल रहा है,
उक्त भूमि किसी भी प्रकार से

Deefak




सचिव
जिला सहकारी विकास संघ
जोण्डा

3/14




कोषागार जोण्डा-50
मुख्य सहायक अधिकारी



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733569

F 733569



वाद/विवाद ग्रस्त नहीं है, तथा

विक्रीत भूमि पट्टे की भूमि, ग्राम समाज

की भूमि, नजूल भूमि, सिलिंग भूमि या

सरकारी भूमि नहीं है, यही यकीन

Duyalk




साधन
गरी विकास संघ लि.
गोपडा

3/14




मुख्य कोषाधिकारी
गोपडा



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

733572

F 733572



विक्रेता (जिला सहाकारी विकास संघ
लि०, गोण्डा) ने क्रेता (उ०प्र० आवास
एवं विकास परिषद) को दिलाया है।




मुख्य कोषाधिकारी
जिला सहाकारी विकास संघ लि०
गोण्डा



मुख्य कोषाधिकारी
जिला सहाकारी विकास संघ लि०
गोण्डा

92



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733573

F 733573

कोषागार शोर्डा-50
 14 MAR 2018
 मुख्य कोषाधिकारी
 शोर्डा

इसी आधार पर परिषद विक्रीत भूमि
 को खरीद करने के लिए तैयार हुई है।

Duyall




साधव
 क्षेत्री विकास संघ लि.
 शोर्डा

3/14



साधव विकास
 क्षेत्री विकास संघ लि.
 शोर्डा

93



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733574

F 733574

कोषागार गोण्डा-50

14 MAR 2012

मुख्य अधिकारी
गोण्डा

3- यह कि विक्रेता (जिला सहकारी विकास संघ लि0, गोण्डा) ने विक्रीत भूमि का स्थल पर खाली कब्जा परिषद को अपने पत्रांक 50/

Dupell




साधेव
कारी विकास संघ लि0
गोण्डा



मुख्य अधिकारी
गोण्डा

94



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733575

F 733575

कोषागार जोण्डा-50

14 MAR 2018

मुख्य कोषाधिकारी

जोण्डा

भूमि-डी0सी0डी0एफ0 / 2017-18, दिनांक

15.06.2017 द्वारा इस शर्ताधीन कि उक्त

गाटा की विक्रय विलेख तथा भुगतान

होने तक गाटा की देख-रेख तथा


Deyal

साधव
जारी विकास जंम जि
जोण्डा

Mishra

जोण्डा


95



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733577

F 733577



अनुरक्षण जिला सहकारी संघ लिमिटेड,

गोण्डा द्वारा किया जायेगा, दे दिया गया

है। दिनांक 30.01.2018 को R.T.G.S




साथ
से विकास संघ लिमिटेड
गोण्डा



मुख्य कर्षाधिकारी
गोण्डा


96



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733576

F 733576



के माध्यम से विक्रेता (जिला विकास संघ लि०, गोण्डा) को भूमि के मूल्य का भुगतान कर दिया गया है।

क्रेता व विक्रेता के बीच विक्रय विलेख

Dimplek




विकास संघ लि०

3/4




विकास संघ लि०



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733579

F 733579



सम्पन्न होते ही कब्जा क्रेता को स्वतः हस्तान्तरित हो जायेगा। साथ ही विक्रीत भूमि की पुनः नाप, चिन्हांकन/सीमांकन विक्रेता द्वारा क्रेता को कराया जायेगा।

Dimplek



सचिव
जिला सहकारी विकास संघ
गोण्डा

3/14



जिला सहकारी विकास संघ
गोण्डा


90



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733578

F 733578



अब विक्रेता (जिला सहकारी विकास संघ
 लि०, गोण्डा व उसके उत्तराधिकारी)
 का विक्रीत भूमि से कोई मतलब या


Dayak

साधेव
 जिला सहकारी विकास संघ लि०
 गोण्डा

3/15

मुख्य कोषाधिकारी
 कोषागार, गोण्डा-50
 जिला सहकारी विकास संघ लि०


99



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733580

F 733580



वास्ता नहीं रहा है और न ही भविष्य में होगा।


4- यह कि विक्रेता ने विक्रीत भूमि को अपने अधिकार, आधिपत्य एवं स्वामित्व



साचिव
शहकारी विकास संघ
गोण्डा




मुख्य अधिकारी
कोषागार गोण्डा-50



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733581

F 733581



आदि से निकालकर परिषद के अधिकार, आधिपत्य एवं स्वामित्व आदि में दे दी है। अब विक्रेता (जिला सहकारी विकास संघ लि०, गोण्डा व उसके


Deepak

सचिव
 सहकारी विकास संघ लि०
 गोण्डा

31/3

२० १००० मिलान
 अधिकारी, कोषागार
 गोण्डा


10



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733583

F 733583



उत्तराधिकारी) का कोई संबंध उक्त भूमि
 या भूमि के किसी अंश से नहीं रहा है
 और न ही भविष्य में होगा।


Deepali

3/14

साचिव
 जिला सहकारी विकास संघ लि.
 गोण्डा

मुख्य अधिकारी
 कोषागार गोण्डा-50


102



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733582

F 733582




5- यह कि आज से परिषद विक्रीत भूमि
की वास्तविक स्वामी एवं हस्तान्तरण
अधिकारी हो गयी है।

Danfalk
[Red circular stamp]

राजिव
शुकरा विकास संघ लि०
गोण्डा

3/11
[Red circular stamp]


मुख्य की अधिकारी
गोण्डा



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

14/08/2010

F 733585




6- यह कि परिषद को अधिकार होगा
कि वह विक्रीत भूमि को परिषद की
योजना अनुसार परिषद के प्रयोग में
ले, जिसमें विक्रेता (जिला सहकारी

Dupell
[Red circular stamp]

मुख्य
कार्याधिकारी
गोंडा

3/10
[Red circular stamp]


104



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

733586

F 733586



विकास संघ लि०, गोण्डा व उसके
 उत्तराधिकारी) को कोई हस्तक्षेप करने
 का अधिकार नहीं होगा। यदि विक्रीत
 भूमि के कब्जे/भूमि के संबंध में विक्रेता

Deval




साथव
 जिला सहकारी विकास संघ लि०
 गोण्डा

3/15



मुख्य अमलाधिकारी
 कोषागार गोण्डा-50


105



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

- 733587

F 733587



(जिला सहकारी विकास संघ लि०,
 गोण्डा व उत्तराधिकारी) या अन्य कोई
 व्यक्ति किसी प्रकार की विधिक
 अड़चन पैदा करता है या मौके पर


Duffell

सांचाय
 जिला सहकारी विकास संघ
 गोण्डा

314

मुख्य कोषाधिकारी
 कोषागार गोण्डा-50

106



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733588

F 733588

कोषागार गोण्डा-50

14 MAR 2018


मुख्य कोषाधिकारी
गोण्डा

किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप करता है,
तो उसे समाप्त कराने की जिम्मेदारी
विक्रेता (जिला सहकारी विकास संघ
लि०, गोण्डा) की होगी।

Dupok



साचिव
जिला सहकारी विकास संघ लि०
गोण्डा



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733535

F 733535

कोषागार गोण्डा-50

14 MAR 2018

मुख्य कोषाधिकारी
गोण्डा

7- यह कि परिषद ने विक्रेता को विक्रीत भूमि का सभी भुगतान अनुसूची-2 के अनुसार कर दिया है। विक्रेता की कोई धनराशि परिषद की ओर शेष नहीं


Dufoell



सहकारी विकास
गोण्डा




सहकारी विकास
गोण्डा



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

733517

F 733517



रही है और न ही भविष्य में होगी।

इस प्रकार वास्तविक हस्तान्तरण

कार्यान्वित हुआ। यह विक्रय पत्र सर्वथा,

उचित व प्रचलन योग्य है।

Deepak




सहकारी विकास
कोषागार



सहकारी विकास
कोषागार

109



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733540

F 733540

F 733540

कोषागार गोण्डा-50

14 MAR 2019

मुख्य कोषाधिकारी
गोण्डा


8- यह कि परिषद के प्रतिनिधि को अधिकार होगा कि वास्तविक स्वामी के रूप में उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद का नाम समस्त सरकारी

Duplet

3m

साथ में
सर्वकारी विभागों के
मोहर


कोषागार गोण्डा-50



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733537

F 733537



अभिलेखों में दर्ज करा ले, यदि इस
संबंध में विक्रेता की कोई रजामन्दी,
शपथ पत्र आदि देने की आवश्यकता
होगी, तो विक्रेता उसे पूरा करने को

Deepal




सचिव
जनकारी विकास बोर्ड
गोण्डा

3/14




20, Koshagar Gonda
Distt. Gonda, U.P.
221001



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733536

F 733536



पाबन्द रहेगा, जिसमें विक्रेता (जिला
सहकारी विकास संघ लि०, गोण्डा) व
उसके उत्तराधिकारी को कोई आपत्ति
न होगी।


Dupell

साधिका
सहकारी विकास संघ लि०
गोण्डा

3m

सू० ए०२०० विल्लम
अतिरिक्त अधिकारी, ए००००-२
उ००००-०००० एवं विभाग परि०

112



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

733590

F 733590

कोषागार गोण्डा-50
 14 MAR 2018
 मुख्य न्यायाधिकारी

9- यह कि यदि आज से पहले कोई
 देनदारी उक्त भूमि पर होगी तो उसको
 अदा करने की समस्त जिम्मेदारी
 विक्रेता (जिला सहकारी विकास संघ


Dunfall


3/14

 जिला सहकारी विकास संघ

जिला सहकारी विकास संघ

113



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733591

F 733591

कोषागार गोण्डा-

14 MAR 2018

मुख्य कोषाधिकारी
गोण्डा

लि0, गोण्डा) की होगी तथा आज के बाद की समस्त देनदारी परिषद की रहेगी।

Danpal




साथिय
विकासी विकास
गोण्डा

3/14




कोषागार गोण्डा
मुख्य कोषाधिकारी



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

733589

F 733589



10- यह कि उक्त विक्रय पत्र में जहाँ
कहीं भी शब्द विक्रेता आया है, उसका
आशय जिला सहकारी विकास संघ

Dy. Secy




साचिव
जिला सहकारी विकास संघ
गोण्डा



मुख्य अधिकारी
कोषागार गोण्डा-50


115



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733584

F 733584



लि०, गोण्डा व उसके उत्तराधिकारी
 शामिल समझे जायेंगे।

Duphal




साधेव
 सहकारी विकास संघ
 गोण्डा

3/14




मुख्य दंडाधिकारी
 कोषागार गोण्डा-50



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733592

F 733592



11- यह कि उक्त भूमि के सभी
खसरा नम्बरान एक साथ मिले हुए हैं,
जो संलग्न सजरे प्लान (संलग्नक-13
पर दृष्टव्य है) के अनुसार है।


Deepak



साधिव
जिला शासकरी विकास संघ
गोण्डा




14 MAR 2018
मुख्य वन-साधिकारी
गोण्डा



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

733593

F 733593




12— यह कि विक्रेता की उक्त भूमि के किसी भी खसरा नम्बरान की भूमि/भूमि के अंश पर किसी भी अन्य व्यक्ति का अवैध कब्जा या दखल नहीं है।

Dayal

साक्षि
जिला सहायक

3/11


साक्षि
जिला सहायक



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733594

F 733594




13— यह कि इस विक्रय पत्र के साथ
उक्त भूमि के स्वामित्व संबंधी उद्धरण
खतौनी फसली वर्ष 1419 से 1424 व
इंतखाव खसरा फसली वर्ष बावत् साल

Deepak

साचिव
ग्राम सहकारी विकास संघ
गोपडा

[Signature]


मुख्य कार्याधिकारी
गोपडा



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733595

F 733595



1423 व संदर्भित भूमि के भार रहित होने
का प्रमाण पत्र संलग्न है, जो क्रमशः

संलग्नक-14 से 29 पर दृष्टव्य है।


Deepak



सहायक
सहायकी विभागाध्यक्ष
गोंडा




मुख्य न्यायाधिकारी
गोंडा



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733588

F 733596



14— यह कि यदि किसी वादी के
वादवश अथवा किसी वैधानिक दोष व
त्रुटिवश अथवा विक्रेता उक्त भूमि को
विक्रय करने की अधिकारी न हो या

Deepak


3/14

मुख्य कार्याधिकारी
गोण्डा

सचिव
शा. सहकारी विकास संघ लि.
गोण्डा

121



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733597

F 733597

कोषागार गोण्डा-50
 14 MAR 2018
 मुख्य कोषाधिकारी
 गोण्डा

विक्रेता द्वारा यह विक्रय पत्र गलत
 तथ्यों के आधार पर किया गया हो या
 किसी भी अन्य उत्तराधिकारीगण व
 किसी भी अन्य व्यक्ति की दावेदारी के

Deefall




सचिव
 जिला सहकारी विकास संघ लि.
 गोण्डा

3/14



मुख्य कोषाधिकारी
 कोषागार गोण्डा


122



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733598

F 733598



कारण उक्त भूमि अथवा उसका कोई
 अंश परिषद के अधिकार, अधिपत्य एवं
 स्वामित्व आदि से निकल जावे या यह
 विक्रय पत्र किसी सक्षम न्यायालय द्वारा

Deepak




सचिव
 जिला सहकारी विकास संघ लि०
 गोण्डा

3/16



जिला सहकारी विकास संघ लि०
 गोण्डा


123



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

H 733599

F 733599



खण्डित कर दिया जावे, तो ऐसी प्रत्येक
 दशा में परिषद को अधिकार होगा कि
 वह विक्रेता को दिया गया समस्त विक्रय
 मूल्य अथवा उसका अंश जैसी भी दशा

Dunfale




साधव
 जिला सहकारी विकास संघ लि०
 गोण्डा

3/21




मुख्य न्यायाधीश
 कोषागार गोण्डा-50



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733600

F 733600



हो मय हर्जा व खर्चा मय कानूनी ब्याज
के विक्रेता से (जिला सहकारी विकास
संघ लि०, गोण्डा) व उसके
उत्तराधिकारीगण की चल व अचल

Deepak



सचिव

जिला सहकारी विकास संघ लि०


गोण्डा

3/14



मुख्य बोधदायककारी


गोण्डा



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733601

F 733601



सम्पत्ति से जिस भाँति उचित जाने प्राप्त
कर लें, जिसमें विक्रेता (जिला सहकारी
विकास संघ लि०, गोण्डा व उसके
उत्तराधिकारीगण) को कोई आपत्ति


Dupell



सचिव
जिला सहकारी विकास संघ लि०
गोण्डा




मुख्य न्यायाधिकारी
कोषागार गोण्डा-5



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733602

F 733602



किसी भी प्रकार की नहीं होगी। विक्रेता

जो कि जिला सहकारी विकास संघ

लि०, गोण्डा के संचालक मण्डल द्वारा

नामित किये गये है, द्वारा इस विक्रय

Deepak




सचिव
जिला सहकारी विकास संघ लि०
गोण्डा



मुख्य कोषाधिकारी
गोण्डा


127



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733603.

F 733603



पत्र को स्वस्थ मस्तिष्क व स्वस्थ इन्द्रियों
की दशा में पढ़कर, समझकर अपने
हस्ताक्षर व निशानी अंगूठे किये हैं।

Deepak




सचिव
जिला सहकारी विकास संघ
गोण्डा

3/14




सचिव
जिला सहकारी विकास संघ
गोण्डा



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733604

F 733604



15- यह कि यह विक्रय पत्र विक्रेता के द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात एवं तथ्यों के आधार पर तहरीर किया गया है, यदि कोई तथ्य/कागजात

Dupak




साधिव
जिला सहकारी विकास संघ लि.
गोण्डा

3/14



मुख्य कोषाधिकारी
कोषागार गोण्डा-50

129



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733605

F 733605

कोषागार गोण्डा-६

14 MAR 2019

मुख्य कोषाधिकारी

गोण्डा

/पहचान असत्य पायी जाती है तो
 उसकी पूरी जिम्मेदारी विक्रेता (जिला
 सहकारी विकास संघ लि०, गोण्डा)
 की रहेगी। साथ ही भविष्य में वर्तमान

Deepak




साधिव
 जिला सहकारी विकास संघ लि०
 गोण्डा



गोण्डा
 जिला सहकारी विकास संघ लि०
 गोण्डा

130



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733606

F 733606

कोषागार गाण्डा-5

14 MAR 2018

मुख्य कोषाधिकारी

अथवा

विक्रय विलेख के निष्पादन से
 निष्पादन के उपरान्त क्रेता (उ०प्र०
 आवास एवं विकास परिषद) को अपनी
 योजना को विक्रीत भूमि पर निष्पादित

Devi




सचिव
 जिला सहकारी विकास संघ लि.
 मोरदा

3/14



जिला सहकारी विकास संघ लि.
 मोरदा

131



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733607

F 733607

कोषागार गोण्डा-5
 14 MAR 2013
 मुख्य कोषाधिकारी

करने में, भूमि के स्वामित्व व अधिपत्य
 (Title) को लेकर कोई विवाद/क्षति
 होने की दशा में, क्रेता को होने वाली

Dupak




सचिव
 जिला सहकारी विकास संघ लि०
 गोण्डा



सं. १०००० दिनांक
 ०१.०३.२०१३
 मुख्य कोषाधिकारी


132



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733608


F 733608




क्षतिपूर्ति की समस्त जिम्मेदारी विक्रेता
(जिला सहकारी विकास संघ लि०,
गोण्डा) की होगी। अतः यह विक्रय पत्र
उक्त भूमि का लिख दिया कि सनद रहे

Deval

साचिव
जिला सहकारी विकास संघ लि०
गोण्डा



133



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733609

F 733609

कोषागार गोण्डा-50
14 MAR 2018
मुख्य कोषाधिकारी
गोण्डा

और वक्त जरूरत पर काम आये।

दिनांक :

Deepak




सचिव
जिला सहकारी विकास संघ लि०
गोण्डा

3/18



मुख्य कोषाधिकारी
गोण्डा

134



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733610

F 733610

कोषागार गोण्डा-50
14 MAR 2018
मुख्य कोषाधिकारी
गोण्डा

अनुसूची-1

(विक्रीत भूमि का पूर्ण विवरण)

ग्राम पुरे शिवा बख्तावर परगना व तहसील व जिला गोण्डा।

| खाता संख्या | खसरा संख्या | क्षेत्रफल (हे०में) | भूमि का विवरण यदि व संकेक्षण संख्या का नाम हो (चारों सीमाओं और लगी हुई स्वामी का स्वामित्व प्रदर्शित करते हुए) | भूमि के कुल मूल्य के लिए निर्धारित दर (रु० में) | भूमि पर खड़ी फसल | |
|-------------|-------------|--------------------|--|---|------------------|--|
| | | | | | विवरण | मूल्यांकन के अनुसार देय धनराशि (रु० में) |
| 00060 | 520 | 0.9140 | पूरब-गाटा सं०-545, 526, 527 आदि। पश्चिम-592, 550, 505 आदि। - उत्तर-गाटा सं० 593 दक्षिण-सम्पर्क मार्ग | 90.00 लाख प्रति हेक्टेयर परस्पर समझौते के आधार पर | - | - |
| 00106 | 522 | 1.7400 | | | - | - |
| | 546 | 0.2100 | | | - | - |
| | 548 | 0.2750 | | | - | - |
| | 549 | 2.2130 | - | - | - | - |
| कुल योग | 05 किता | 5.3520 हेक्टेयर | | | | |

Duplet




सचिव
जिला सहकारी विकास संघ
गोण्डा

314



जिला सहकारी विकास संघ
गोण्डा

135-



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733611

F 733611

कोषागार गोण्डा-50

14 MAR 2010

मुख्य कोषाधिकारी
गोण्डा

अनुसूची-2

(विवरण प्राप्ति विक्रय मूल्य)

Deafek




सचिव
जिला सहकारी विकास संघ लि०
गोण्डा



कोषागार गोण्डा-50
मुख्य कोषाधिकारी
गोण्डा

136



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733612

F 733612

कोषागार गोण्डा-5
 14 MAR 2018
 मुख्य कोषाधिकारी
 गोण्डा

1- अंकन रू0 4,76,86,320.00


(चार करोड़ छिहत्तर लाख छियासी

हजार तीन सौ बीस मात्र)


Deefok



साधव
 जिला सहकारी विकास विभाग
 गोण्डा




13/11/18
 10/03/2018
 10/03/2018
 10/03/2018



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733613

F 733613



Transaction No./R.T.G.S No.

0005532 खाता संख्या


0025003400000024

Dr. J. K. Singh

साथव
जिला सहकारी विकास संघ
गोण्डा




130



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733614

F 733614



दिनांकित 30.01.2018

(जो कि संलग्नक-30 पर दृष्टव्य है)

द्वारा उ0प्र0 कोऑपरेटिव बैंक


Duyak



सांचव
जिला सहकारी विकास संघ लि.
गोण्डा




मुख्य कोषाधिकारी
गोण्डा



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733615

F 733615



लिमिटेड, गोण्डा के प्रथम पक्ष विक्रेता

द्वितीय पक्ष क्रेता परिषद से प्राप्त किये।

Deyal




सचिव
जिला सहकारी विकास बोर्ड, रीवा
गोण्डा



मुख्य कोषाधिकारी
कोषागार गोण्डा-50

140



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733616

F 733616

कोषागार गोण्डा-50

14 MAR 2018

मुख्य कोषाधिकारी
गोण्डा

2- इस प्रकार कुल रू0 4,76,86,320.00

(रूपये चार करोड़ छिहत्तर लाख

छियासी हजार तीन सौ बीस मात्र)


Deuffell



जिला सह सचिव
जिला सहकारी विकास संघ लि0
गोण्डा




जिला सह सचिव
जिला सहकारी विकास संघ लि0
गोण्डा



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733617

F 733617



द्वितीय पक्ष परिषद से प्रथम पक्ष विक्रेता

को प्राप्त हो चुके हैं।

Deepak




साधिव
जिला सहकारी विकास संघ लि०
गोण्डा



मुख्य कोषाधिकारी
गोण्डा

142



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733618

F 733618

कोषागार गोण्डा-5

14 MAR 2018

मुख्य कोषाधिकारी
गोण्डा

3- अंकन रू0 4,81,680.00 (रूपये चार

लाख इक्यासी हजार छः सौ अस्सी)

नियमानुसार द्वितीय पक्ष उ0प्र0

Deepak




साचिव
जिला सहकारी विकास संघ
गोण्डा



जिला सहकारी विकास संघ
गोण्डा


143



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733619

F 733619



आवास एवं विकास परिषद, टी0डी0एस0

की धनराशि आयकर विभाग में जमा

करके उसके चालान की प्रति प्रथम पक्ष

Danpat




साचिव

जिला सहकारी विकास संघ लि.
गोण्डा



मुख्य कोषाधिकारी
गोण्डा


144



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733620

F 733620



विक्रेता को पत्रांक 304/भवन-45/5/

दिनांक 03.02.2018 द्वारा उपलब्ध करा

Deepak




सचिव
जिला सहकारी विकास संघ लि.
गोण्डा



जिला सहकारी विकास संघ लि.
गोण्डा

145



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733621

F 733621

कोषागार गोण्डा-50
 14 MAR 2018
 मुख्य कोषाधिकारी
 गोण्डा

दी गयी है। इस धनराशि की प्राप्ति


प्रथम पक्ष विक्रेता को स्वीकार है।

Dupfel



साचिव
 जिला सहकारी विकास संघ लि.
 गोण्डा


146



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733622

F 733622



इस प्रकार कुल प्राप्ति विक्रय मूल्य

अंकन रू0 4,81,68,000.00 (रूपये चार

Duspal




सचिव
जिला सहकारी विकास संघ लि०
गोण्डा

3/18



मुख्य कोषाधिकारी
गोण्डा


147



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733623

F 733623



करोड़ इक्यासी लाख अड़सठ हजार

मात्र)।

Dufak




सचिव
जिला सहकारी विकास संघ लि०
गोण्डा

3/11



कोषागार गोण्डा-50
मुख्य कोषाधिकारी


140



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733624

F 733624



उक्त के साक्ष्य में परिषद की ओर से

उसके अधिकृत प्रतिनिधि एवं विक्रेता ने

Deyfall




सचिव
जिला सहकारी विकास संघ लि०
गोण्डा

[Handwritten signature]



जिला सहकारी विकास संघ लि०
गोण्डा

149



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

F 733625 F 733625

कोषागार गोण्डा-50

14 MAR 2018

मुख्य कोषाधिकारी
गोण्डा


ऊपर अंकित तिथि को निम्न गवाहों के

समक्ष इस विक्रय विलेख को निष्पादित

Danpak




साथे
जिला सहकारी विकास संघ लि.
गोण्डा.



कोषागार गोण्डा-50
मुख्य कोषाधिकारी
गोण्डा

150



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

कोषागार BA 461235
 06 MAR 2015
 मुख्य अधिकारी
 गोण्डा

किये हैं। अतः यह दस्तावेज बैनामा

कामिल के लिख दिया कि सनद रहे

Duafall




सचिव
 जिला सहकारी विकास संघ
 गोण्डा


3/15



1000 रु. का न्यायिक
 स्टैम्प का प्रयोग
 केवल न्यायिक
 प्रयोजनों के लिए है।



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH




और समय पर काम आवे।

आज दिनांक.....मार्च, 2018 ई०।

Dushek



साधक
जिला सहकारी विकास संघ
गोण्डा



152

प्रतिलिपि

जिला सहकारी विकास संघ लि०, गोण्डा के संचालक मण्डल की बैठक दिनांक 07.06.2017 समय 12:00 बजे दिन, स्थान संघ मुख्यालय, गोण्डा।

प्रस्ताव सं०-2


संघ की ग्राम पूरेशिवाबख्तावर में स्थित भूमि रकबा 5.3520 हे० को उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, के पक्ष में हस्तान्तरण हेतु सचिव को अधिकृत करने पर विचार

आयुक्त एवं निबन्धक महोदय के परिपत्र सं०-सी०-35/क्र०वि०/फ०/दिनांक 02.02.2015 के क्रम में गठित भूमि निस्तारण कमेटी की बैठक दिनांक 22.02.2016 के संस्तुति पर संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबन्धक सहकारिता देवीपाटन मण्डल, गोण्डा के पत्रांक 214/क्र०वि०/दिनांक 02.08.2016 द्वारा दिये गये आदेश के क्रम में संघ की ग्राम पूरेशिवाबख्तावर परगना, तहसील व जिला गोण्डा में स्थित भूमि गाटा सं०-520, 522, 546, 548 एवं 549 कुल 05 कित्ता रकबा 5.3520 हे० को 90.00 लाख रुपये प्रति हे० की दर से उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ के पक्ष में भूमि के हस्तान्तरण हेतु समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के लिए सर्वसम्मति से संघ सचिव श्री दीपक मिश्र को अधिकृत किया जाता है।

ह० सचिव ह० सभापति

जिला सहकारी विकास संघ लि०, गोण्डा।

सत्य प्रतिलिपि प्रमाणित



सचिव

जिला सहकारी विकास संघ लि०
गोण्डा



सचिव

जिला सहकारी विकास संघ लि०
गोण्डा





ह० सचिव
जिला सहकारी विकास संघ लि०
गोण्डा

153

प्रेषक,

अपर जिलाधिकारी
गोण्डा।

सेवा में,

उप आवास आयुक्त (भूमि)
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,
104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।

पत्रांक 64 / /2017-18

दिनांक 7 जुलाई, 2017

विषय:- जिला सहकारी विकास संघ लि०, गोण्डा की भूमि को क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अपने कार्यालय पत्रांक सं०-570/एल०ए०सी०/एच०क्यू०/ दिनांक 14.07.2017


का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें आपके द्वारा निम्न बिन्दुओं पर सूचना की वांछना की है:-


- 1- क्या उक्त भूमि को आज भी रु० 90.00 लाख प्रति हेक्टेयर की दर पर देने हेतु संघ सहमत है।
- 2- प्रश्नगत भूमि से सम्बन्धित धनराशि किसके नाम जमा की जायेगी।
- 3- प्रश्नगत भूमि से सम्बन्धित धनराशि कहाँ जमा की जायेगी।
- 4- प्रश्नगत भूमि का बैनामा किसके द्वारा किया जायेगा।


उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में जिला सहकारी विकास संघ लि०, गोण्डा द्वारा अवगत कराया गया है कि उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ की 232वीं बैठक दिनांक 26.03.2015 में संघ की उक्त भूमि को रु० 90.00 लाख प्रति हे० की दर से क्रय करने का निर्णय लिया गया था जिसपर अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा दिनांक 22.02.2016 को सहमति/संस्तुति प्रदान की गयी। जिसके क्रम में संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबन्धक सहकारिता देवीपाटन मण्डल, गोण्डा के पत्रांक 214/क्र०वि०/दिनांक 02.08.2016 द्वारा भूमि विक्रय की स्वीकृति प्रदान की गयी।

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ द्वारा प्राप्त बिक्री की समस्त धनराशि उ०प्र० सहकारी बैंक लि०, शाखा गोण्डा में जिला सहकारी विकास संघ लि०, गोण्डा द्वारा संचालित चालू खाता सं०-002500340000024 में जमा किया जायेगा।

प्रश्नगत भूमि का बैनामा करने हेतु जिला सहकारी विकास संघ लि०, गोण्डा के संचालक मण्डल की बैठक दिनांक 07.06.2017 के प्रस्ताव सं०-2 द्वारा लिये गये निर्णयानुसार संघ सचिव, श्री दीपक मिश्र को अधिकृत किया गया है।


सांचय
जिला सहकारी विकास संघ लि०
गोण्डा


अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
गोण्डा





159

अतः आपको उपरोक्त के सम्बन्ध में इस पत्र के माध्यम से अवगत कराया जा रहा है। तदनुसार प्रश्नगत भूमि के विक्रय विलेख व बिक्री की धनराशि के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही सम्पादित करें, इसके साथ आपको यह भी अवगत कराना है कि दिनांक 01.08.2017 को प्रश्नगत भूमि के सर्किल रेट में वृद्धि की सम्भावना है। इस कारण प्रश्नगत भूमि से सम्बन्धित प्रक्रिया उक्त तिथि के पूर्व ही सम्पूर्ण करना सुनिश्चित करें। अन्यथा नवीन सर्किल रेट के आधार पर विक्रय की कार्यवाही प्रचलित करनी पड़ेगी जिसके कारण आपके कार्यालय को नवीन सर्किल रेट के आधार पर विक्रय मूल्य का भुगतान करना पड़ेगा।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,


(त्रिलोक सिंह)


अपर जिलाधिकारी /
अध्यक्ष भूमि निस्तारण कमेटी
गोण्डा।

पत्रांक / /2017-18 दिनांकित।
प्रतिलिपि:-

सचिव, जिला सहकारी विकास संघ लि०, गोण्डा को इस निर्देश से कि वह उ०प्र० आवास विकास परिषद, लखनऊ के कार्यालय से समन्वय स्थापित कर अग्रेतर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

अपर जिलाधिकारी /
अध्यक्ष भूमि निस्तारण कमेटी
गोण्डा।


साचिव
जिला सहकारी विकास संघ लि०
गोण्डा





155

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

DISTRICT CO OPERATIVE
DEVELOPMENT FEDERATION LTD

20/09/1948
Particulars Account Number
AAA TD5748E

Signature

In case this card is lost / found, kindly inform / return to
Income Tax PAN Services Unit, UTISI,
Plot No. 3, Sector II, CBD Belapur,
New Mumbai - 400 614.

एक - यदि इस कार्ड खोया या चुराया हुआ पाया जाये तो कृपया सूचित करें/ लौटाएं
आयकर सेवा इकाई, UTISI,
प्लॉट नं. 3, सेक्टर II, सी.बी.डी. बेलपुर,
नयी मुंबई - 400 614



Dnyalal
साचिव
जिला सहकारी विकास संघ लि
गोण्डा




156



भारत सरकार

Government of India



दीपक मिश्रा

Deepak Mishra

पिता : राघवेंद्र नाथ मिश्रा

Father : RAGHVENDRA

NATH MISHRA

जन्म तिथि / DOB : 05/09/1981

पुरुष / Male



2908 4921 7865

आधार - आम आदमी का अधिकार

Deepak
सचिव
जिला सहकारी विकास संघ लि०
गोण्डा



जिला सहकारी विकास संघ लि०
गोण्डा



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
(भूमि अर्जन अनुभाग)
104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ



पत्र०सं०-२००९

/एल०ए०सी०/एच०क्यू०/

दिनांक २५-०१-२०१८

कार्यालय आदेश

अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड-२, लखनऊ के पत्र सं०-४०४/भवन-४५/१०/दिनांक ०७.०३.२०१५ द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में जनपद-गोण्डा में गोण्डा-कैजाबाद मार्ग पर स्थित जिला सहकारी विकास संघ लि० गोण्डा की ५.३५२० हे० भूमि को क्रय किये जाने हेतु मा० परिषद की २३२वीं बैठक दिनांक २६.०३.२०१५ के मद संख्या-२३२/३१ पर स्वीकृति प्रदान की गयी। तदोपरान्त उक्त भूमि को सर्किल दर रू० ९०.०० लाख प्रति हे० की दर से भूमि का कुल मूल्य रूपये ४,८१,६८,०००.०० में क्रय किये जाने विषयक प्रकरण मा० परिषद की २३८वीं बैठक दिनांक २०.०९.२०१६ के मद संख्या-२३८/१२ पर विचारार्थ प्रस्तुत किया गया, जिस पर निम्नवत् निर्णय लिया गया:-

“सर्वसम्मति से सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव पर पूर्व में सैद्धान्तिक अनुमोदन दिया गया है। पुनः यह सुनिश्चित किया जाये कि भूमि वाद ग्रस्त न हो, साथ ही भौतिक कब्जा प्राप्त होने में कोई समस्या उत्पन्न न होने की सम्भावना की शर्त के अधीन अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया।”

मा० परिषद द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के संदर्भ में अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड-२, लखनऊ ने अपने पत्र संख्या-१२३१/भवन-४५/४४/दिनांक १६.०६.२०१७ व पत्र संख्या-१२८३ दिनांक २२.६.२०१७ द्वारा प्रश्नगत भूमि, वाद/विवाद/भार रहित होने एवं उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिये जाने के संबंध में अवगत कराया गया तथा उक्त भूमि के सापेक्ष प्रतिकर के भुगतान एवं विक्रय-विलेख के निष्पादन हेतु सूचित किया गया।

अतः वर्तमान में पुनः अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड-२, लखनऊ के पत्र सं०-२९५८ दिनांक ३०.११.१७ व पत्र संख्या-३०१६ दिनांक ०८.१२.१७ व पत्र सं०-१४३/दिनांक १९.०१.२०१८ द्वारा की गयी मांग एवं नियोजन समिति द्वारा की गयी संस्तुति तथा जिलाधिकारी, गोण्डा की अध्यक्षता में शासनादेश संख्या-३८५/८-३-१६-३०९विधि/१५ दिनांक २१.०३.२०१६ के परिपेक्ष्य में गठित समिति द्वारा दिनांक १८.०१.२०१८ को की गयी अनुशंसा के क्रम में जिला सहकारी विकास संघ लि० गोण्डा की उक्त ५.३५२० हे० भूमि को रू० ९०.०० लाख प्रति हे० की दर से दिनांक ३१.०१.२०१८ से पूर्व बैनामे द्वारा क्रय किये जाने हेतु भूमि मूल्य रू० ४,८१,६८,०००.०० (रूपये चार करोड़ इक्यासी लाख अड़सठ हजार मात्र) अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड-२, लखनऊ के निस्तारण पर, इस शर्त के अधीन अवमुक्त किये जाने के एतद्द्वारा आदेश दिये जाते हैं कि उक्त धनराशि किसी अन्य मद में नहीं वितरित की जायेगी।

उक्त भूमि का बैनामा परिषद पक्ष में कराने हेतु परिषद की ओर से अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड-२, लखनऊ को नामित किया जाता है तथा बैनामे में लगने वाले स्टैम्प शुल्क आदि का वहन परिषद द्वारा किया जायेगा।

(धीरज साहू)

आवास आयुक्त

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वित्त नियंत्रक, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, मुख्यालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त धनराशि रू० ४,८१,६८,०००.०० (रूपये चार करोड़ इक्यासी लाख अड़सठ हजार मात्र) अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड-२, लखनऊ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त (शि०का०), उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
3. अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड-२, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि प्रश्नगत भूमि के संबंध में पुनः परीक्षण करते हुए उक्त भूमि का बैनामा परिषद पक्ष में दिनांक ३१.०१.२०१८ से पूर्व करवाकर तथा उक्त भूमि परिषद पक्ष में दाखिल खारिज कराते हुए इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें। साथ ही एक अन्य खसरा संख्या-५२१ की भूमि को भी आपसी बातचीत के माध्यम से क्रय करने हेतु कार्यवाही की जाये।

सचिव

जिला सहकारी विकास संघ लि०
गोण्डा

(महेन्द्र कुमार)

पर आवास आयुक्त एवं सचिव

प्रेषक,

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन,
गोण्डा।

सेवा में,

अधिकासी अभियन्ता

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,

निर्माण खण्ड-2, भूतनाथ आफिस काम्पलेक्स(तृतीय तल)

इन्दिरा नगर, लखनऊ-226016(उ0प्र0)।

संख्या 31

/ शि0स0/2018

दिनांक 27-01-2018

विषय

जनपद गोण्डा में गोण्डा-फैजाबाद मार्ग पर स्थित जिला सहकारी विकास संघ लि0 गोण्डा की 5.3520 हे0 भूमि को परस्पर सहमति से क्रय किये जाने वाली भूमि की स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन शुल्क की देयता के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया अपने कार्यालय के पत्र संख्या 214/भवन-45/33 दिनांक 25.01.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जो अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), गोण्डा को सम्बोधित एवं अधोहस्ताक्षरी को पृष्ठांकित है। उक्त पत्र आज दिनांक 27.01.2018 को श्री हेमन्त कुमार अवर अभियन्ता उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, निर्माण खण्ड-2, भूतनाथ आफिस काम्पलेक्स(तृतीय तल) इन्दिरा नगर, लखनऊ एवं श्री दीपक मिश्रा सचिव जिला सहकारी विकास संघ लि0 गोण्डा द्वारा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध कराया गया। उक्त महानुभावों द्वारा पत्र में उल्लिखित भूमि की वर्तमान में लागू कलेक्टर मूल्यांकन दर सूची के अनुसार मालियत, स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन शुल्क की देयता की सूचना उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया है। उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त पत्र के साथ संलग्न उप निबन्धक सदर गोण्डा के पत्र संख्या 44/उ0नि0 गोण्डा सदर/2016 दिनांक 19.02.2016 में उप निबन्धक द्वारा किये गये स्थल निरीक्षण के आधार पर जिलाधिकारी, गोण्डा द्वारा निर्धारित वर्तमान मूल्यांकन दर सूची 2017 प्रभावी दिनांक 01.08.2017 के पृष्ठ 84 क्रमांक 334 के कालम 09 एवं 10 के अनुसार मालियत निम्नवत् है-

| गाटा सं0 | रकबा | दर प्रति हे0 | मालियत(रूपये में) |
|-----------|--------|------------------------|-------------------|
| 548 व 549 | 2.4880 | 1,20,00,000रू0 | 29856000/- |
| 546 | 0.2100 | 80,00,000रू0+30प्रतिशत | 2184000/- |
| 520, 522 | 2.6540 | 80,00,000रू0 | 21232000/- |
| | | योग | 53272000/- |

01- कुल मालियत 53272000/- रूपये पर 7प्रतिशत की दर से 3729040/- स्टाम्प शुल्क देय है।

02- 20000/- निबन्धन शुल्क एवं प्रतिलिपिकरण शुल्क 320 रूपये(150 पेज पर) रसीद पर नकद देय है।

अस्तु सूचना प्रेषित।

भवदीय,

(अरुण कुमार)

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन
गोण्डा।

सचिव

जिला सहकारी विकास संघ लि0
गोण्डा

159

संलग्न - 2 (5)

आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ०प्र० लखनऊ के परिपत्रांक-सी-35 /क्र०वि०/प-7/फा-दिनांक 02.02.2015 के क्रम में संघ की निष्प्रयोज्य भूमि के निस्तारण हेतु गठित कमेटी की बैठक दिनांक 22.02.2016 समय 4:00 बजे सायं, स्थान गोण्डा कलेक्ट्रेट।

उपस्थिति :-

- | | |
|---|-------------------|
| 1. अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) गोण्डा | अध्यक्ष |
| 2. उपायुक्त मनरेगा, जनपद गोण्डा | सदस्य |
| 3. सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक सहकारिता गोण्डा | सदस्य |
| 4. सभापति, जिला सहकारी विकास संघ लि०, गोण्डा | सदस्य |
| 5. सचिव, जिला सहकारी विकास संघ लि०, गोण्डा | सचिव/सदस्य संयोजक |

आज की कार्यवाही अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) महोदय की अध्यक्षता में प्रारम्भ की गयी।

भूमि निस्तारण कमेटी की बैठक दिनांक 17.02.2016 में लिये गये निर्णयानुसार सचिव/सदस्य संयोजक द्वारा एजेण्डा के बिन्दु संख्या-1 "संघ की प्रस्तावित भूमि को परिषद पक्ष में विक्रय हेतु विभाग के सक्षम अधिकारी की स्वीकृति" हेतु कमेटी को अवगत कराया गया कि अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के पत्र संख्या-294/भवन-45/04 दिनांक 09.02.2016 द्वारा संघ की भूमि स्थित ग्राम पूरे शिवा बख्तावर, परगना, तहसील व जिला गोण्डा गाटा संख्या-520, 522, 546, 548 एवं 549 कुल 05 कित्ता रकबा 5.3520 हे० पर आवासीय योजना चलाये जाने हेतु 90 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से परिषद की 232वीं बैठक दिनांक 26.03.2015 द्वारा भूमि क्रय का निर्णय लिया गया है।

सचिव, जिला सहकारी विकास संघ लि०, गोण्डा के प्रार्थना पत्र संख्या-मेमो/भूमि दिनांक 11.02.2016 द्वारा संघ की उक्त प्रस्तावित भूमि का सर्किल दर ज्ञात करने सम्बन्धी पत्र पर अध्यक्ष महोदय के पृष्ठांकन आदेश दिनांक 11.02.2016 के क्रम में संघ की उक्त प्रस्तावित भूमि के मालियत की गणना कर तहसीलदार सदर गोण्डा द्वारा आख्या प्रेषित की गयी, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

| क्रमांक | गाटा संख्या | रकबा (हे० में) | दर प्रति हेक्टेयर | मालियत |
|--------------|-------------|----------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 549 | 2.2130 | 1,00,00,000/- रुपये | 2,21,30,000/- रुपये |
| 2 | 520 | 0.9140 | | |
| 3 | 522 | 1.7400 | | |
| 4 | 546 | 0.2100 | | |
| 5 | 548 | 0.2750 | | |
| | 04 कित्ता | 3.1390 | 70,00,000/- रुपये | 2,19,73,900/- रुपये |
| सम्पूर्ण योग | 05 कित्ता | 5.3520 | - | 4,41,03,000/- रुपये |

Dupak
सचिव
जिला सहकारी विकास संघ लि०
गोण्डा

(2)

दिनांक 17.02.2016 की बैठक में लिए गये निर्णय के क्रम में सब रजिस्ट्रार गोण्डा सदर से संघ की उक्त भूमि का मूल्यांकन/परीक्षण अध्यक्ष महोदय के पृष्ठांकन आदेश दिनांक 17.02.2016 के अनुपालन में सब रजिस्ट्रार के पत्र संख्या-44 दिनांक 19.02.2016 द्वारा संघ की उक्त भूमि रकबा 5.3520 हे० के मालियत की गणना निम्न विवरण अनुसार किया गया :-

| गाटा संख्या | रकबा (हे० में) | दर प्रति हे० | मालियत (रूपये में) |
|----------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| 548 एवं 549 | 2.4880 हे० | 1,00,00,000 रु० | 2,48,80,000 / - रु० |
| 546 | 0.2100 हे० | 70,00,000 + 30% | 19,11,000 / - रु० |
| 520 एवं 522 | 2.6540 हे० | 70,00,000 / - रु० | 1,85,78,000 / - रु० |
| सम्पूर्ण योग 05 किता | 5.3520 हे० | - | 4,53,69,000 / - रु० |

उपरोक्तानुसार तहसीलदार सदर एवं सब रजिस्ट्रार सदर द्वारा संघ की उक्त प्रस्तावित भूमि रकबा 5.3520 हे० की मालियत जिलाधिकारी महोदय, गोण्डा द्वारा जारी वर्तमान सर्किल दर से जो दिनांक 01.08.2015 से प्रभावी है, के अनुसार क्रमशः 4,41,03,000 / - रु० एवं 4,53,69,000 / - रु० आंकी गयी।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद लखनऊ की 232वीं बैठक दिनांक 26.03.2015 में संघ की उक्त भूमि को 90 लाख रु० प्रति हेक्टेयर की दर से क्रय करने का निर्णय लिया गया है, जिसके अनुसार प्रस्तावित भूमि रकबा 5.3520 हे० का कुल मूल्य 4,81,68,000 / - रु० होता है, जो तहसीलदार सदर गोण्डा एवं सब रजिस्ट्रार सदर गोण्डा द्वारा उक्तानुसार आंकी गयी मूल्यांकन आख्या के सापेक्ष क्रमशः 40,65,000 / - रु० एवं 27,99,000 / - रु० अधिक है। इस प्रकार संघ की उक्त भूमि को उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद लखनऊ के पक्ष में विक्रय करना उचित है, क्योंकि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद भी एक सरकारी संस्था है।

एजेण्डा के बिन्दु संख्या-2 के सम्बन्ध में सचिव/सदस्य संयोजक द्वारा ग्राम पूरे शिवा बख्तावर के खाता संख्या-00106 एवं खाता संख्या-00060 का वर्तमान खतौनी दिनांक 12.02.2016 तहसील सदर से प्राप्त कर कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें उक्त प्रस्तावित भूमि संघ के नाम दर्ज कागजात है।

एजेण्डा के बिन्दु संख्या-3 के सम्बन्ध में सचिव/सदस्य संयोजक द्वारा जिलाधिकारी महोदय द्वारा जारी सर्किल दर की सूची जो दिनांक 01.08.2015 से प्रभावी है, की छायाप्रति कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा सचिव संघ द्वारा विक्रय से प्राप्त होने वाली धनराशि का गणना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार प्रस्तावित भूमि का कुल मूल्य (90 लाख रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से) 4,81,68,000 / - रूपये होता है।

Deyal
सचिव
जिला सहकारी विकास
गोण्डा

[Signature]

क्रमशः संयोजक पर
जिला सहकारी विकास
गोण्डा

161

3

(3)

एजेण्डा के बिन्दु संख्या-4 के सम्बन्ध में सचिव/सदस्य संयोजक द्वारा संघ की प्रस्तावित भूमि रकबा 5.3520 हे० का भारमुक्त प्रमाण पत्र फार्म (29) जो कार्यालय सब रजिस्ट्रार गोण्डा द्वारा दिनांक 12.02.2016 को जारी हुआ है, प्रस्तुत किया गया।

एजेण्डा के बिन्दु संख्या-5 के सम्बन्ध में सचिव/सदस्य संयोजक द्वारा संघ की भूमि पर स्थित भवन व गोदाम जो जीर्ण-शीर्ण दशा में खण्डहर के रूप में स्थित है, को भूमि हस्तान्तरण के तुरन्त बाद शीघ्र अति शीघ्र ध्वस्त करवाकर मलवा हटवा दिये जाने का सहमति पत्र कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

एजेण्डा के बिन्दु संख्या-6 के सम्बन्ध में सचिव/सदस्य संयोजक के पत्र संख्या-मेमो/भूमि दिनांक 11.02.2016 द्वारा नगर मजिस्ट्रेट गोण्डा से मास्टर प्लान में प्रस्तावित भूमि का भू-उपयोग के सम्बन्ध में अनुरोध किया गया, जिस पर नगर मजिस्ट्रेट गोण्डा द्वारा अवगत कराया गया कि "गोण्डा विनियमित क्षेत्र में वर्तमान समय में महायोजना लागू नहीं है" कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

उपरोक्त के क्रम में विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद लखनऊ द्वारा गोण्डा में आवासीय योजना चलाये जाने हेतु संघ की प्रस्तावित उक्त भूमि रकबा 5.3520 हे० को 90 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से क्रय करने का प्रस्ताव जनहित में होने के साथ ही साथ संघ हित में भी है।

अतः भूमि निस्तारण कमेटी आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता, उत्तर प्रदेश लखनऊ के उक्त परिपत्र के क्रम में विक्री/हस्तान्तरण का प्रस्ताव संस्तुति सहित संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबन्धक सहकारिता देवीपाटन मण्डल गोण्डा को प्रेषित है। सचिव/सदस्य संयोजक को निर्देशित किया जाता है कि कमेटी के उक्त निर्णयानुसार अग्रेतर कार्यवाही करें।

प्रतिष्ठापित

Dayal

सचिव
जिला सहकारी विकास समिति
गोण्डा

सचिव
जिला सहकारी विकास समिति
गोण्डा



जिला सहकारी विकास समिति
जिला कार्यालय, गोण्डा-2
जिला सहकारी विकास समिति

162

संक्र. 4

आदेश

जिला सहकारी विकास संघ लि०, गोण्डा की जनपद गोण्डा में गोण्डा-फैजाबाद मार्ग पर ग्राम पूरेशिवा वख्तावर में स्थित 5.3520 हेक्टेयर निष्प्रयोज्य भूमि को सर्किल रेंट पर उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद को विक्री कर निस्तारित किये जाने हेतु संघ की प्रबन्ध कमेटी की बैठक दिनांक 07.09.2015 के प्रस्ताव संख्या 02 द्वारा लिये गये निर्णय के अनुक्रम में आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता महोदय के परिपत्र संख्या सी-35/क्र०वि०/प०-7/फा/दिनांक 02.02.2015 द्वारा गठित कमेटी की बैठक दिनांक 22.02.2016 की संस्तुतिक सहित अधोहस्ताक्षरी स्तर से उक्त परिपत्र में निहित निर्देश के अनुपालन में प्रकरण को आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता लखनऊ को पत्रांक 554/क्र०वि०/डीसीडीएफगो०-भूमि/दिनांक 25 फरवरी, 2016 द्वारा सन्दर्भित किया गया जिस पर आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता लखनऊ के पत्रांक 422/क्र०वि०/प-8/फा/दिनांक 14.07.2016 द्वारा अनुमति/सहमति प्रदान करते हुये अधोहस्ताक्षरी स्तर से उत्तर प्रदेश सहकारी समिति नियमावली 1968 के नियम 176 एवं 176-क की प्रतिनिधानित शक्तियों का प्रयोग कर निस्तारित करने हेतु इस शर्त के साथ निर्देश निर्गत किया गया कि निस्तारण के उपरान्त विक्री की समस्त धनराशि उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक लि० में सावधि जमा के रूप में जमा कर उसे आयुक्त एवं निबन्धक के नाम बन्धक किया जाय एवं संस्था की लाइवेल्टी अथवा व्यवसाय हेतु उक्त धनराशि की आवश्यकता होने पर उस आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता लखनऊ से अनुमति प्राप्त की जाय।

अतः मैं, आर०सी०दूबे०, संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबन्धक सहकारिता, देवीपाटन मण्डल, गोण्डा अधिसूचना संख्या 3328-सी/12-सी-25(1)/67 दिनांक 24.06.1969 द्वारा उक्त नियमावली के नियम 176 एवं 176-क की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एतद्वारा जिला सहकारी विकास संघ लि०, गोण्डा की उक्त 5.3520 हेक्टेयर भूमि को सर्किल रेंट पर उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद लखनऊ को उक्त शर्तों के साथ विक्री किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(आर०सी०दूबे०)

संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबन्धक
सहकारिता,

देवीपाटन मण्डल गोण्डा।

कार्यालय संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबन्धक, सहकारिता, देवीपाटन मण्डल, गोण्डा।


पत्रांक 214 / क्र०वि० / दिनांक 02 अगस्त, 2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, जिला सहकारी विकास संघ लि०, गोण्डा को इस निर्देश के साथ कि अतिरिक्त से उक्त शर्तों का परिपालन सुनिश्चित करें।
2. सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक सहकारिता, गोण्डा।
3. आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता, उ०प्र०, लखनऊ को उक्त पत्रांक 422/क्र०वि०/प-8/फा दिनांक 14.07.2016 के सन्दर्भ में।



सचिव
जिला सहकारी विकास संघ लि०
गोण्डा


संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबन्धक
सहकारिता,

देवीपाटन मण्डल, गोण्डा।


163

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

कार्यालय सहाय अधिकारी, निर्माण एवं द्वितीय

मुलाखत आयोग कायदा (ग्रामीण क्षेत्र)

एड्रेस नम्बर, लखनऊ-220016 (30940) 0522-2351082



पत्रांक: 294 / अवन 45 / 04

दिनांक: 09-2-16

सचिव,
जिला सहकारी विकास संघ लि०,
गोण्डा।

विषय: जनपद गोण्डा में गोण्डा-फैजाबाद मार्ग पर जिला सहकारी विकास संघ लि०, गोण्डा की 5.3520 हेक्टेयर भूमि पर आवासीय योजना चलाये जाने के संबंध में।

संदर्भ:

- उपरोक्त विषयक मुख्यालय के पत्रांक 1616/एल.ए.सी./एच.क्यू./दिनांक 19.01.2016 (इत्यादि संलग्न) के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि परिषद की 232वीं बैठक दिनांक 20.03.15 में लिए गये निर्णयानुसार रु० 90.00 लाख प्रति हेक्टेयर की दर से भूमि के क्रय करने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जाती है। अतः कृपया निम्न बिन्दुओं के संबंध में मुख्यालय के पत्रांक 1733/एल.ए.सी./एच.क्यू./दिनांक 09.02.16 के अनुसार कार्यवाही करते हुए अभिलेखों सहित आख्या शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
1. जिला सहकारी विकास संघ लि० गोण्डा की भूमि को परिषद पक्ष में विक्रय करने हेतु अपने विभाग के सक्षम अधिकारी के स्तर की स्वीकृति।
 2. प्रश्नगत भूमि का कुल क्षेत्रफल (सजरा प्लान/खसरा/खतौनी के उद्दहरणों सहित) भूमि की सूची सहित।
 3. सर्किल रेट की लिस्ट एवं देय धनराशि का गणना पत्र।
 4. प्रश्नगत भूमि के संबंध में बैंक आदि की समस्त देयता से मुक्त होने का प्रमाण-पत्र।
 5. प्रश्नगत भूमि पर स्थित भवन/वृक्ष/अन्य किसी प्रकार का मलवा आदि जो उपलब्ध हो उसे शीघ्र खाली करा दिये जाने के संबंध में सहमति।
 6. नास्टर प्लान में प्रश्नगत भूमि का भू-उपयोग।

भवदीय,

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

(इं० अजय कुमार मिश्रा)
अधिसासी अभियन्ता

पत्रांक:- 294 / 309 / 04

दिनांक: 09-02-16

प्रतिलिपि:-

1. अपर आवास आयुक्त एवं सचिव, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, 104, गंगा नगर मार्ग, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, वृन्दावन योजना, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
3. सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता, उपखण्ड-गोण्डा को इस निर्देश के साथ कि व्यक्तिगत रूप से संबंधित से सम्पर्क स्थापित कर वांछित सूचनार्थ प्रेषित कर आवश्यक कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें।

(Signature)

सचिव
जिला सहकारी विकास संघ लि०
गोण्डा

(Signature)
अधिसासी अभियन्ता

प्रेषक,

राचित,

जिला सहकारी विकास संघ लि०,
गोण्डा।

सेवा में,

अधिसासी अभियन्ता,
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,
निर्माण खण्ड-द्वितीय,
लखनऊ।

पत्रांक : 294-45 / डी०सी०डी०एफ० / 2016

दिनांक : 09/02/2016

महोदय,

कृपया अपने पत्रांक-294/भवन-45/04 दिनांक 09.02.2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा संघ की 5.3520 हे० भूमि को 90 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से क्रय करने हेतु 06 बिन्दुओं पर आख्या मांगी गई थी, जो निम्नवत् है :-

बिन्दु संख्या 1 :- संघ की भूमि रकबा 5.3520 हे० को उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद के पक्ष में विक्री की अनुमति संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबन्धक सहकारिता, देवीपाटन मण्डल, गोण्डा के पत्रांक-214/क्र०वि० दिनांक 06.02.2016 द्वारा प्रदान की गई है (छायाप्रति संलग्न)।

बिन्दु संख्या 2 :- संघ के भूमि की खतांनी सूची सहित संलग्न है।

बिन्दु संख्या 3 :- संघ की भूमि का जिलाधिकारी महोदय गोण्डा द्वारा निर्धारित सर्किल दर की सूची की छायाप्रति एवं दंड धनराशि का गणना पत्र संलग्न है।

बिन्दु संख्या 4 :- संघ की भूमि का भारमुक्त प्रमाण-पत्र फार्म-29 जो सब रजिस्ट्रार, गोण्डा सदर द्वारा जारी किया गया है, संलग्न है।

बिन्दु संख्या 5 :- इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि संघ की भूमि पर स्थित भवन व साधनादान जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, को भूमि हस्तान्तरण के तुरन्त बाद शीघ्रान्ति-शीघ्र जिला सहकारी विकास संघ द्वारा हटवा लिया जायेगा।


बिन्दु संख्या 6 :- इस सम्बन्ध में नगर मजिस्ट्रेट गोण्डा द्वारा अवगत किया गया कि "गोण्डा विनियमित क्षेत्र में वर्तमान समय में महायोजना लागू नहीं है" (संलग्न)।

संघ की भूमि गाटा संख्या-520/0.9140 हे०, 522/1.7400 हे०, 548/0.2750 हे० एवं 549/2.2130 हे० कुल 05 किता रकबा 5.3520 हे० को सर्किल दर 90 लाख रूपया प्रति हेक्टेयर की दर से मु०-4,81,68,000.00 रूपये में विक्री/हस्तान्तरण हेतु भूमि निस्तारण कमेटी के निर्णय के क्रम में संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबन्धक सहकारिता, देवीपाटन मण्डल, गोण्डा द्वारा अनुमति प्रदान की गई है।

Duffell

श्री 6
श्री 6
श्री 6

3/4



165

(2)

अतः आपसे अनुरोध है कि संघ की भूमि का कुल मूल्य 4,81,68,000.00 रुपये संघ के ए0प्र0 सहकारी बैंक लि0, शाखा गोण्डा में संचालित खाता संख्या- 002500340000024 में जमा करने का कष्ट करें, जिससे भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही की जा सके।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

सचिव,

जिला सहकारी विकास संघ लि0,
गोण्डा।

पत्रांक : / डी0सी0डी0एफ0 / तददिनांक।

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक, गोण्डा।
2. संपुक्त आयुक्त एवं संपुक्त निबंधक सहकारिता, देवीपाटन मण्डल, गोण्डा।

सचिव,

जिला सहकारी विकास संघ लि0,
गोण्डा।

Dimple

सचिव
जिला सहकारी विकास संघ लि0,
गोण्डा

3/11



166

२०१७-३

IS 15700:2005



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
(भूमि अर्जन अनुभाग)

120, भारतीय राष्ट्रीय मार्ग, लखनऊ

भारतीय मानक ब्यूरो

ISO 9157:00

पत्र संख्या- 1119
सेवा में

/ एल०ए०सी० / एच०यू० /

दिनांक - 04-10-16

अधिशाली अभियन्ता,

निर्माण खण्ड-02,

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद

लखनऊ।

विषय: जनपद-गोण्डा में गोण्डा-फैजाबाद मार्ग पर स्थित जिला सहकारी विकास संघ लि०, गोण्डा की 5.3520 हे० भूमि पर आवासीय योजना चलाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र सं०-1607/भवन-45/46 दिनांक 05.08.2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जिला सहकारी विकास संघ लि० गोण्डा की भूमि को वर्तमान सर्किल दर पर लिये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु अनुरोध किया गया था। उक्त प्रकरण में दिनांक 28.06.2016 को सचिव/आवास आयुक्त(म०) की अध्यक्षता में परिषद अधिकारियों की बैठक सम्पन्न हुई थी। उक्त बैठक में विचारोपरान्त प्रश्नगत भूमि का बैनामा (वर्तमान सर्किल दर रु० 90.00 लाख प्रति हे० की दर से) कुल रु० 4,81,68,000.00 में परिषद पक्ष में कराने एवं स्टैम्प शुल्क आदि में लगाने वाले समस्त व्यय परिषद द्वारा वहन करने की संस्तुति की गयी थी। उक्त संस्तुतियों परिषद के मा० निदेशक मण्डल की 238वीं बैठक दिनांक 20.09.2016 में मद सं०-238/12 पर विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गयी जिसपर परिषद के मा० निदेशक मण्डल द्वारा निम्नवत् निर्णय लिया गया है :-

"सर्वसम्मति से सम्यक विचारोपरान्त प्रस्ताव पर पूर्व में सैद्धान्तिक अनुमोदन दिया गया है, पुनः यह सुनिश्चित किया जाय कि भूमि वाद ग्रस्त न हो, साथ ही भौतिक कब्जा प्राप्त होने में कोई समस्या उत्पन्न न होने की सम्भावना की शर्त के अधीन अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया।"

अतः परिषद के मा० निदेशक मण्डल की 238वीं बैठक दिनांक 20.09.2016 में मद सं०-238/12 पर प्रस्तुत की गयी व्याख्यात्मक टिप्पणी की प्रति इस आशय के साथ संलग्न प्रेषित है कि कृपया परिषद के मा० निदेशक मण्डल द्वारा लिये गये उपरोक्त निर्णय के क्रम में सुनिश्चित कर लें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई वाद नहीं है तथा भौतिक कब्जा प्राप्त होने में कोई समस्या नहीं उत्पन्न होगी का परीक्षण कराकर अपने स्पष्ट अभिमत के साथ स्थिति से 15 दिन के अन्दर अधीक्षण अभियन्ता के माध्यम से अवगत कराने का कष्ट करें ताकि आवास आयुक्त(म०) को स्थिति से अवगत कराते हुए अग्रेतर कार्यवाही हेतु दिशा निर्देश प्राप्त किये जा सकें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय

एस०वी० सिंह)

आवास आयुक्त(भूमि)

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।।

उप आवास आयुक्त(भूमि)

सचिव

जिला सहकारी विकास संघ
गोण्डा

167

प्रेषक, !

सचिव,
जिला सहकारी विकास संघ लि०,
गोण्डा।

सेवा में,

अध्यक्ष,
नियोजन समिति,
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

महोदय,


आज दिनांक 20.12.2017 को जिला पंचायत सभागार में ग्राम पूरे शिवा बख्तावर की भूमि गाटा संख्या-520, 522, 546, 548 एवं 549 कुल 05 किता रकबा 5.3520 हे० पर परिषद द्वारा किये जा रहे नियोजन के क्रम में कार्यवाही हेतु बैठक आहूत की गई है, जिसके सम्बन्ध में निवेदन है कि दिनांक 31.01.2018 तक पूर्व में निर्धारित 90.00 लाख रू० प्रति हेक्टेयर की दर पर विक्रय हेतु सहमत हूँ तथा उक्त दिनांक के पश्चात् भुगतान होने की दशा में विक्रय मूल्य का भुगतान तदनुसार सर्किल रेट पर देय होगा।

तदनुसार सूचित हों।



सचिव
जिला सहकारी विकास संघ लि०
गोण्डा


भवदीय


20-12-17

सचिव,
जिला सहकारी विकास संघ लि०,
गोण्डा।



समस्त नगर उद्धारण यजमानदी ग्राम - पूरे शिवा बलतावर परगना च तहसील गोडा जिला गोडा
समस्त नगरदी १२६३ पन्. तदनुसार सन १९६६-६७ ई.
माप - १६ इंच = १ मील



नोट - * तारांकित स्थान पर अस्य सर्वेक्षण
पेआनिकर्ता Map and the
अनस

[Signature]
29/6/15

[Signature]
29/6/15


[Signature]
सचिव
जिला सहकारी विकास संघ लि.
गोडा

25739 आ. 26/6/15
29/6/15

20/6/15
K. H. S. S.
R. S. S.



20/6/15




उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-द्वितीय

भूतनाथ आफिस कम्प्लेक्स (पूर्वी ताले),

इन्दिरा नगर, लखनऊ-226016 (उ०प्र०) टेलीफोन नं० 0522-2351082



पत्र सं० : 1001 / आवत 45 / 33

दिनांक : 24-05-17

सेवा में,

जिलाधिकारी (म०),
गोण्डा।

विषय: जिला सहकारी विकास संघ लिमिटेड, गोण्डा की 5.3520 हेक्टेयर भूमि पर आवासीय योजना चलाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि जिला सहकारी संघ विकास लि०, गोण्डा की ग्राम-पुरे शिवा बखतावर, परगना, तहसील व जिला-गोण्डा में स्थित गाटा संख्या 520, 522, 546, 598 एवं 549 कुल 05 किता रकवा 5.3520 हेक्टेयर को परिषद सीधे क्रय करके आवासीय योजना संचालित करना चाहता है। मा० निदेशक मण्डल द्वारा 238वीं बैठक दि० 20.09.2016 में निर्णय लिया गया कि "यह सुनिश्चित किया जाय कि भूमि वाद ग्रस्त न हो, साथ ही भौतिक कब्जा प्राप्त होने में कोई समस्या उत्पन्न न होने की सम्भावना की शर्त के अधीन अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया।"

उक्त के क्रम में सूच्य है कि प्रस्तावित भूमि की पैमाइश करा ली गयी है, परन्तु उपरोक्त के सम्बन्ध में निम्न सूचनायें सादर वांछित हैं।

1. उपरोक्त गाटा संख्या 520, 522, 546, 548 एवं 549 खतौनी में दर्ज भूमि का नाम ?
2. राजस्व अभिलेखों के अनुसार उपरोक्त पाँचों गाटों पर किसी प्रकार के वाद की स्थिति ?
3. खसरो के भू-उपयोग की प्रकृति ?
4. उपरोक्त खसरो में आवासीय योजना प्रस्तावित करने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति का विवरण ?

महोदय आपसे सादर अनुरोध है कि जनपद गोण्डा में जिला सहकारी विकास संघ लि० की भूमि पर आवासीय योजना संचालित किये जाने के दृष्टिगत उपरोक्त सूचनायें उपलब्ध कराये जाने हेतु कृपया सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

09

10

Handwritten signatures and notes: S.D.M. 09/05, 18/05/17, 21/05/17, 31/05/17, etc.

भवदीय,
3/5/17

(इ० अजय कुमार मित्तल)
अधिशासी अभियन्ता

दिनांक :

जिलाधिकारी (म०) :
गोण्डा

प्रतिलिपि :

372
2
372
372
372

अपर आवास आयुक्त एवं सचिव (म०), उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गाँधी, लखनऊ।


अधीक्षक अभियन्ता, प्रथम वृत्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, शिविर कार्यालय, आफिस कम्प्लेक्स, सेक्टर-9, वृन्दावन योजना, लखनऊ को सूचनार्थ।

उप. आवास आयुक्त (भूमि), उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गाँधी, लखनऊ।

सहायक अभियन्ता-प्रथम/सम्बन्धित अवर अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, इन्दिरानगर, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि व्यक्तिगत रूप से जिलाधिकारी कार्यालय में सम्बन्धित से सम्पर्क कर वांछित सूचनायें प्राप्त करना सुनिश्चित करें। सचिव सहकारी विकास संघ लि०, गोण्डा को सूचनार्थ प्रेषित।

Handwritten signatures and notes: 21/05/17, 31/05/17, etc.

Handwritten signatures and notes: 08/06/2017, 10/06/17, etc.



170

कार्यालय उप जिलाधिकारी, गोण्डा सदर

संख्या: 1539 / एस0टी0(जॉच आख्या)/2017


दिनांक जून 22 2017

अधिशायी अभियन्ता,
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,
निर्माण खण्ड-2
लखनऊ


कृपया अपने पत्र संख्या:1001/भवन 45/33 दिनांक 24-5-2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो जिला सहकारी विकास संघ लि0 गोण्डा की 5.3520 हेक्टेयर भूमि स्थित ग्राम पूरे शिवाबख्तावर परगना तहसील व जिला गोण्डा पर आवासीय योजना चलाये जाने के सम्बन्ध में भूमि की जॉच कराकर आख्या दिये जाने विषयक है।

उक्त के सम्बन्ध में तहसीलदार, सदर गोण्डा से जॉच कराकर आख्या प्राप्त की गई। तहसीलदार द्वारा बिन्दुवार एवं स्वतः स्पष्ट प्रस्तुत जॉच आख्या दिनांकित 21-6-2017 मूल रूप में संस्तुति सहित प्रेषित है।

संलग्नक:यथोपरि


22/6/17

(विनोद कुमार सिंह)
उप जिलाधिकारी,
सदर गोण्डा
एवं जिलाधिकारी
सदर गोण्डा

A-E (G)

22/6/17






सांचय
जिला सहकारी विकास
गोण्डा



उद्घरण खतौनी

ग्राम क्रमांक : 174576 ग्राम का नाम / पराना : पूरे शिवानखतावर(गोण्डा)

तहसील : गोण्डा

जनपद : गोण्डा

फसली वर्ष : 1419-1424

भाग : 1

उद्घरण क्रमांक : 174576168



174

खता खतौनी क्रम संख्या

खतदार का नाम / पिता प्रति संरक्षक का नाम / निवास स्थान

भौतिक अधिकार- प्राप्ति होने का वर्ष

खतों के प्रकार का खसरा संख्या

प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हि.)

खतदार द्वारा देय भालगुजारी या लगान

परिचरित भू-पन्थी अशा का उतका साराशा उनकी संख्या तथा दिनांक सहित चौर आशा देने वाले अधिकारी का पद

दिग्गामी

शर्ता : 1-क / भूमि जो सऊमणीय भूमिधरो केअधिकार में हो।

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|-----|--------|-------|-----|--------|---|--------|---------|---|---|
| 00060 | कोआपरेटिव-वेकलपोस्ट लिमि. / . / गोण्डा / . / | 1374फ- | 518 | 0.3280 | 1374फ | 520 | 0.9140 | 2 | 1.2420 | ₹ 29.55 | 0 | 0 |
| कुल गाटे- दो | कुल क्षेत्रफल- एक दशमलव दो चार दो शतक (हिकटेयर) | कुल भू-राजस्व - दो नौ दशमलव पाँच पाँच सपे | | | | | | | | | | |

Data Digitally Signed by: VEDA PRAKASH DUBE

उपरोक्त उद्घरण खतौनी का ऑथेंटिकेशन <http://upbhuulekh.gov.in> Website पर जाकर किया जा सकता है।




सहस्र अधिकारी: SANTOSH KUMAR

तहसील: गोण्डा जनपद: गोण्डा

दिनांक: एच शमय: 08-06-2017 04:16:17

उद्घरण खतौनी दस्तावेजों का डिजिटली भंडारण द्वारा किया जा सकता है।



सचिव
सहकारी विकास संघ लि.
गोण्डा

Deefak



उद्घरण खतीनी

उद्घरण क्रमांक : 174576169

ग्राम क्रमांक : 174576 ग्राम का नाम / परगावा : पूरे शिवाबख्तावर(गोडा) तहसील : गोडा जन्मद : गोडा फसली वर्ष : 1419-1424 भाग : 1

| खता खतीनी क्रम संख्या | खतिदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान | शैथिलिक अधिकार प्राप्त होने का वर्ष | खति के प्रकार गोटे की खसरा संख्या | प्रत्येक गोटे का क्षेत्रफल (हे.) | खतिदार द्वारा देय भालुजारी या लगान | परिवर्तन अनवन्धी आशा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनांक संशोधन और अज्ञात देने वाले अधिकारी का पद | दिप्पणी |
|-----------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---|---------|
|-----------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---|---------|

1 -----2-----3 4 5 6 7-12 13

श्रेणी : 1-क / भूमि जो सऊमणीय भूमिधारे केअधिकार में हो।

| | | | | | | | |
|-------|-------------------|--------|-----|--------|--------|---|---|
| 00106 | डी.सी.एफ.गोडा / / | 1409फ. | 511 | 0.0360 | | | |
| | | 1409फ. | 522 | 1.7400 | | | |
| | | 1409फ. | 546 | 0.2100 | | | |
| | | 1409फ. | 548 | 0.2750 | | | |
| | | 1409फ. | 549 | 2.2130 | | | |
| | | | 5 | 4.4740 | ₹ 0.00 | 0 | 0 |

Data Digitally Signed by: VEDA PRAKASH DUBE




सहस्र अधिकारी: SANTOSH KUMAR

तहसील: गोडा जन्मद: गोडा

असहस्र अरथ नुकीनी का क्षेत्रिकेसाग <http://udbhulekh.gov.in> Website पर जाकर किया जा सकता है।

दिनांक प्रथम समय: 08-06-2017 04:10:52

यह उद्घरण खतीनी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटली सिग्नेचर द्वारा देया



साचिव
जिला सहकारी विकास संघ लि.
गोण्डा


कोटि जमिनी 17

सुखनाराम कसर (असरा घुतावकः)

कोटि जमिनी वारंतीवत परमना गोण्डा तहसील रायचूर जिला मध्य प्रदेश

कोटि जमिनी

| नई संख्या | क्षेत्रफल | पुरानी संख्या | क्षेत्रफल | नया काला कतौरी संख्या | मिस्त्रले काला कतौरी की मुमि संख्या (2001 Class) | मिस्त्राई का संख्या | मिस्त्रे संख्या | नई संख्या | क्षेत्रफल |
|-----------|-----------|----------------|--------------|-----------------------|--|---------------------|-----------------|-----------|-----------|
| २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ |
| 344 | 0-22 | 232 सं. 3 | 0-12 0-22 | 332 | दासत रज. | नल कूप नं. 209 | | | |
| | | 230 सं. | 0-00 | | दासत रज. | नल कूप नं. 209 | | | |
| | | 232 सं. 2 | 0-22 | | दासत रज. | नल कूप नं. 209 | | | |
| 345 | 0-04 | 232 सं. 180 | 0-04 | 332 | गोण्ड रज. | - | गोण्ड | | |
| 347 रज. | 0-04 | 232 सं. 180 | 0-04 | 332 | गोण्ड | - | गोण्ड | | |
| 348 | 0-03 | 232 सं. 3 | 0-03 | 332 | गोण्ड | - | गोण्ड | 349 | 9-0 |
| 348 | 0-90 | 232 सं. 2 | 0-90 | 332 | गोण्ड | - | गोण्ड | | |
| 348 | 0-03 | 232 सं. 3 | 0-03 | 332 | गोण्ड | - | गोण्ड | | |
| 348 | 0-22 | 232 सं. 2 | 0-06 | 348 | गोण्ड रज. | - | गोण्ड | | |
| | | 232 सं. 2 | 0-92 | | गोण्ड रज. | - | गोण्ड | 342 | 0-2 |
| | | 232 सं. 2 | 0-04 | | गोण्ड रज. | - | गोण्ड | | |
| 348 | 9-22 | 232 सं. 2 | 0-26 | 948 | गोण्ड रज. | नल कूप नं. 209 | | | 9-2 |
| | | 232 सं. | 0-20 | | गोण्ड रज. | नल कूप नं. 209 | | जगत | 9-2 |
| | | 232 सं. | 0-00 | | गोण्ड रज. | नल कूप नं. 209 | | जगत | |
| | | | 9-63 | | | नल कूप नं. 9-00 | गोण्ड | | |



साबिके 03
जगत विकस
कोटि जमिनी

(विषय सं. २४)

समाप्तक-सूचका (असरा भूलाभक)


पत्र सं. आकार १४४

पत्र सं. आकार १४४

| क्र. सं. आकार | पत्र सं. आकार | पुस्तक सं. आकार | सं. आकार | नवी काला खोली संख्या | विषय सं. आकार की लमि अ. सं. (Serial Class) | विषय सं. आकार | विषय सं. आकार | पत्र सं. आकार | पत्र सं. आकार |
|---------------|---------------|-----------------|----------|----------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | १०३६२१ | ०-०३ | | मोटघार टा | प्रासाचित | | | |
| | | १०३६२२ | ०-१६ | | टासट नान | प्रासाचित | | | |
| | | १०३६२३ | ०-१० | | टासट नान | प्रासाचित | | | |
| २१६ | ०-२१ | ११४७२१ | ०-०३ | ८ | मोटघार टा | प्रासाचित | | | |
| | | ११४७२२ | ०-१७ | | मोटघार टा | प्रासाचित | | | |
| | | ११४७२३ | ०-०८ | | मोटघार टा | प्रासाचित | | | |
| | | ११६०२१ | ०-०३ | | मोटघार टा | प्रासाचित | | | |
| | | ११६०२२ | ०-०१ | | मोटघार टा | प्रासाचित | | | |
| | | ११६०२३ | ०-०४ | | मोटघार टा | प्रासाचित | | | |
| | | ११६०२४ | ०-०४ | | मोटघार टा | प्रासाचित | | | |
| | | ११७७० | ०-०४ | | मोटघार टा | प्रासाचित | | | |
| | ०-२१ | | ०-२३ | | | | | | ज्ञात |
| ज्ञात | ०-२१ | | | | | | | | ज्ञात |
| ज्ञात | | | | | | | | | ज्ञात |



साचिव
जिला सहकारी विकास संघ लि०
गोण्डा



1010 (9)


श्री १००० नं० १०००

(१००० नं० १०००)

(१००० नं० १०००)

श्री १००० नं० १०००

| क्र.सं. | विवरण | वर्ष | पुस्तक सं.सं. | पृ.सं. | वर्ग | विवरण | विवरण |
|---------|---------|------|---------------|--------|------|-----------|----------|
| १ | | | ११०१ | ०-०५ | | मटिपार टा | अपसिंचित |
| २ | | | ११०२ | ०-०६ | | मटिपार टा | अपसिंचित |
| ३ | | | ११०३ | ०-०५ | | मटिपार टा | अपसिंचित |
| ४ | | | ११०४ म | ०-०५ | | मटिपार टा | अपसिंचित |
| ५ | | | ११०५ म | ०-०० | | मटिपार टा | अपसिंचित |
| ६ | | | ११०६ म | ०-०० | | मटिपार टा | अपसिंचित |
| ७ | | | ११०७ म | ०-०५ | | मटिपार टा | अपसिंचित |
| ८ | | | १६ | ०-०५ | | मटिपार टा | अपसिंचित |
| ९ | ५१० | ०-३४ | ११४४ म | ०-०५ | ३४६ | मटिपार टा | जड परता |
| १० | | | ११४५ म | ०-०५ | | मटिपार टा | - |
| ११ | | | ११४६ म | ०-१० | | मटिपार टा | - |
| १२ | | | ११४७ म | ०-१० | | मटिपार टा | - |
| १३ | | | ११४८ म | ०-३४ | | मटिपार टा | - |
| १४ | | ०-३४ | | ०-६६ | | | |
| १५ | जाना | - | | | | | |
| १६ | नर जगत | ०-३४ | | | | | |
| १७ | रु परता | ०-३४ | | | | | |



सचिव
जिला सहकारी विकास संघ लि०
गोण्डा




102 (6)

सं. १०० ए.कार ११४३
 सं. १०० ए.कार ११४३
 सं. १०० ए.कार ११४३

सं. १०० ए.कार ११४३

| क्र.सं. | सं.सं. | पुरानी संख्या | सं.सं. | नवीन संख्या | विवरण | सिपाई का नाम | विवरण |
|---------|--------|---------------|--------|-------------|----------|---------------|-------|
| | | ११८८ | ०-१० | | दोमट नोन | नाग कृप न २०० | |
| | | ११८९ | ०-१० | | दोमट नोन | नाग कृप न २०० | |
| | | १२०३ | ०-३५ | | दोमट दो | | |
| | | १२०८ | ०-४० | | दोमट दो | | |
| | | १२०५ | ०-३६ | | दोमट दो | | |
| | | १२०५ | ०-३६ | | दोमट दो | | |
| ४२१ | ०-१८ | १२०५ | ०-१८ | १३ | दोमट दो | | |
| ४२२ | ४-३० | १२०० | ०-१५ | ४ | दोमट नोन | | |
| | | १२०१ | ०-१५ | | दोमट नोन | | |
| | | १२०३ | ०-१५ | | दोमट नोन | | |
| | | १२०४ | ०-१५ | | दोमट दो | | |
| | | १२०८ | ०-३६ | | दोमट दो | | |
| | | १२०९ | ०-३६ | | दोमट नोन | | |



सं. १०० ए.कार ११४३



सं. १०० ए.कार ११४३
 सं. १०० ए.कार ११४३
 सं. १०० ए.कार ११४३


सं. १०० ए.कार ११४३

(विषय सं०) १७२

पुस्तकालयक द्वारा (कृतका पुस्तकालय)

पूर शिवा कलाधर गाण्डा गाण्डा गाण्डा गाण्डा गाण्डा गाण्डा गाण्डा गाण्डा गाण्डा गाण्डा

| सं० क्रमांक | दिनांक | पुस्तकी संख्या | पृष्ठ सं० | नया काला खरीदी संख्या | पिछले काला की सूची सं० (Serial Class) | विवरण का स्थान | दिनांक | सं० क्रमांक | दिनांक |
|-------------|--------|----------------|-----------|-----------------------|---------------------------------------|----------------|--------|-------------|--------|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० |
| | | १२१० | ०-२४ | | | दामर नोन | | ४०३ | ०-३१ |
| | | १२१३ | ०-४० | | | दामर नोन | | | |
| | | १२१४ | ०-२० | | | दामर दौ | | ४२४ | २-०० |
| | | १२१५ | ०-२० | | | दामर दौ | | ४२४ | ०-३१ |
| | | १२१६ | ०-३६ | | | दामर दौ | | ४२६ | ०-६१ |
| | | १२१७ | ०-३४ | | | दामर दौ | | | |
| | | १२२० | ०-३० | | | दामर दौ | | | |
| | | १२२१ | ०-३० | | | दामर दौ | | | |
| | | १२२३ | ०-३३ | | | दामर नोन | | | |
| | | १२२४ | ०-१३ | | | दामर नोन | | | |
| | | १२२४ | ०-१३ | | | दामर नोन | | | |
| | | १२२४ | ०-१३ | | | दामर नोन | | | |
| | | १२२६ | ०-३६ | | | दामर नोन | | | |
| | | १६ | ४-३० | | | | | | |
| | | | ३-१६ | | | | | | |



साचिव
जिला सहायकारी विकास संघ
गोंडा

3/5/1

105-



Printed on 31/01/2018 13:43 by bhikshu (11150035)
This is a Computer generated statement. If any discrepancy in this statement may please be notified.

| Date | Trn. No. | Chq. No. | Particulars | Debit | Credit | Balance |
|------------|----------|----------|---|-------|-------------|-------------|
| 01/03/2017 | 0004056 | | TO FOLIO CHARGES | 23.00 | | 61649.64 |
| 14/02/2017 | 0007655 | | By Int. 412501-1 (0050/0000019) | | 61626.64 | 61626.64 |
| 25/02/2017 | 0000035 | | By Int. 412501-1 (0050/0000019) 58.50% | | 63001.64 | 63001.64 |
| 19/02/2017 | 0007415 | | TO FOLIO CHARGES | 23.00 | | 6275.00 |
| 02/10/2017 | 0004339 | | By Int. 412501-3 (0050/0000019) | | 62364.64 | 62364.64 |
| 01/01/2018 | 0034320 | | By Int. 412501-3 (0050/0000019) | | 69241.04 | 69241.04 |
| 31/01/2018 | 0005531 | | By RTGS EX BRNC CD 1 UPVAP 1 MARGA LTD EX ENDT. UTR R | | 69900.04 | 69900.04 |
| | | | CLOSING BALANCE | | 71525.04 | 71525.04 |
| | | | | | 47686320.00 | 47686320.00 |
| | | | Grand Total | 46.00 | | 47686320.00 |

ACCOUNT STATEMENT FROM 01/03/2017 TO 31/01/2018
 Page No: 11
 MAHARAJGARH, GONDIA
 KALIA CHHOTER LANE, KALIA, GONDIA
 MAHARAJGARH CO-OPERATIVE BANK LTD.
 Account No.: 002500340000024
 A/c Status: Operative
 Pan Card No.:
 Joint Holder:
 A/c Category: Society
 A/c Open Date: 30/03/2013
 OF Name: CURRENT DEPOSIT
 IFSC Code: ICIC000UPSCB

Dupale

सचिव
जिला सहकारी विकास संघ लि०
गोण्डा




भारत सरकार
Government of India



दीपक मिश्रा
 Deepak Mishra
 पिता : राघवेंद्र नाथ मिश्रा
 Father : RAGHVENDRA
 NATH MISHRA
 जन्म तिथि / DOB : 05/09/1981
 पुरुष / Male



2908 4921 7865

आधार - आम आदमी का अधिकार

1026


भारत पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

पता: डब्लू 560, आवास विकास
 कालोनी, भरतपुरी, गोण्डा, बरगवा,
 बड़गाव गोडा, गोडा, उत्तर प्रदेश,
 271002


Address: W 560, AVAS VIKAS COLON
 BHARATPURI, GONDA, Bargawan,
 Bargaon (gonda), Gonda, Uttar Pradesh,
 271002


2908 4921 7865


1847
 1800 300 1847

help@uidai.gov.in

www.uidai.gov.in



भारत सरकार
Government of India


अजय कुमार मिश्रा
 Ajay Kumar Mittal
 जन्म तिथि / DOB: 24/04/1971
 पुरुष / MALE



3845 6479 3866

आधार - आम आदमी का अधिकार


भारत पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

पता: S/O ओमकार गुप्ता, १८/३२०, सेक्टर-१८, डी ए वी स्कूल के पास, इंदिरा नगर, इंदिरा नगर स.ओ, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 228016

Address: S/O Omkar Gupta, 18/320, Sector - 18, near D A V School, Indira Nagar, Indira Nagar S.O, Lucknow, Uttar Pradesh - 228016


3845 6479 3866


1847
 1800 300 1847


help@uidai.gov.in

www.uidai.gov.in

P.O. Box No 1847
 Bangalore-560 001



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA


दुर्गा प्रसाद
 Durga Prasad
 जन्म वर्ष / Year of Birth : 1986
 पुरुष / Male



9647 6152 5243

आधार - आम आदमी का अधिकार


भारत पहचान प्राधिकरण
UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

पता: S/O लेखराम मिश्रा, ग्राम - बनवरिया, बनवरिया, बनवरिया, गोडा, उत्तर प्रदेश, 271001

Address: S/O Lekhran Mishra, VILL BANVARIYA, Banvaria, Banwaria, Gonda, Uttar Pradesh, 271001

9647 6152 5243

1847
 1800 180 1847

help@uidai.gov.in

www.uidai.gov.in

P.O. Box No 1847
 Bangalore-560 001

Deepak
 सांचे
 जिला सहकारी विकास संघ लिड
 गोण्डा




भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
 भारत सरकार
 Unique Identification Authority of India
 Government of India


नामांकन क्र. / Enrollment No 1207/00623/02057

To,
 Man Mohan Srivastava
 Man Mohan Srivastava
 S.O. Shri. Lal Mohan Srivastava
 Beside Awards Vikas Office HNo-970-M.I.C. Radha Vihar
 colony, Phase I
 Krishna Nagar
 Mathura
 Uttar Pradesh 201004
 8795810463

Ref: 479 / 25E / 390311 / 396755 / P



UES1388772011



आपका आधार क्रमांक / Your Aadhaar No. :


3591 3458 1907

आधार — आम आदमी का अधिकार



भारत सरकार
 GOVERNMENT OF INDIA


Man Mohan Srivastava
 Man Mohan Srivastava
 Year of Birth: 1955
 पुरुष / Male




3591 3458 1907

आधार — आम आदमी का अधिकार

(10)



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



राजितराम वर्मा वसीका नवीस,

कलेक्ट्रेट, गोण्डा।

Duyak




साचिव
जिला सहकारी विकास संघ लि.
गोण्डा



1000



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



विक्रेता
 जिला सहकारी विकास संघ
 लिमिटेड,
 गोण्डा द्वारा अधिकृत सचिव
 के
 हस्ताक्षर

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद
 की ओर से क्रेता/अधिकृत
 प्रतिनिधि के हस्ताक्षर



Dayal

3/11

जिला सहकारी विकास संघ लि०
 गोण्डा

मुख्य कार्यालय
 गोण्डा

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 10070 के पृष्ठ 137 से 310 तक
क्रमांक 4182 पर दिनांक 22/03/2018 को रजिस्ट्रीकृत किया गया

क्र. 702/18 स्टा-210 मूल्य 100/-
प्राप्तकर्ता का नाम श्री/श्रीमती _____
पुत्र/पत्नी श्री अरुण आवास सह विप सपरिफ द
निवासी _____
परगना _____ तहसील _____ रजिस्ट्रार कार्यालय अधिकारी के हस्ताक्षर
राज्य _____

मुख्य रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार/उप रजिस्ट्रार
कोषागार नो. 50

शे.नेन्द्र कुमार सिंह

उप निबंधक : सदर

गोंडा






उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-द्वितीय

भूतनाथ आफिस काम्प्लेक्स (तृतीय तल),

इन्दिरा नगर, लखनऊ-226016 (उ०प्र०) ☎ 0522-2351082



पत्र सं० : 304 / भवन 45 / 51

दिनांक : 03-02-18

सेवा में,

सचिव,
जिला सहकारी विकास संघ लिमिटेड,
गोण्डा।

विषय: गोण्डा फ़ैजाबाद मार्ग स्थित जमीन के मूल्य भुगतान के समय काटे गये टी०डी०एस० की प्रति उपलब्ध कराने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक 123/भूमि/2018, दिनांक 31.01.2018 के क्रम में गोण्डा-फ़ैजाबाद मार्ग स्थित जिला सहकारी विकास संघ लि०, गोण्डा के खसरा सं० 520, 522, 546, 548 तथा 549 के कुल रकवा 5.3520 हेक्टेयर का रू० 90.00 लाख प्रति हेक्टेयर की दर से कुल रू० 4,81,68,000.00 (चार करोड इक्यासी लाख अड़सठ हजार मात्र) के भुगतान के समय 1% की दर से टी०डी०एस० के मद में काटी गयी धनराशि रू० 4,81,680.00 (चार लाख इक्यासी हजार छः सौ अरसी मात्र) आयकर विभाग में जमा कराते हुए आप द्वारा वांछित फार्म 26 QB की छाया प्रति संलग्न प्रेषित है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(इ० अजय कुमार मिस्तल)
अधिशासी अभियन्ता

पृ० सं०: / /

दिनांक :

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधीक्षण अभियन्ता-तृतीय वृत्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, नीलगिरी काम्प्लेक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
2. उप आवास आयुक्त (भूमि), उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ।
3. सहायक अभियन्ता-प्रथम/श्री हेमन्त कुमार, अवर अभियन्ता-गोण्डा, निर्माण खण्ड-2, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

अधिशासी अभियन्ता

सचिव
जिला सहकारी विकास संघ लि०
गोण्डा

अधिशासी अभियन्ता
जिला सहकारी विकास संघ लि०
गोण्डा

Form 26QB

191

Your E-tax Acknowledgement Number is AE7813304

- The Acknowledgement No. generated will be valid only if the taxpayer makes a payment at Bank's site. Taxpayers are advised to save above Acknowledgement No. for downloading Form 16B from TRACES website.
- As communicated by Income Tax Department, TDS certificate (Form 16B) will be available for download from the TRACES website after atleast 2 days of deposit of tax amount at the respective Bank.
- The TDS amount as per Form 26QB should be entered in the field 'Basic Tax' (Income Tax) on the Bank's web-portal as TDS certificate (Form 16B) will be based on 'Basic Tax' (Income Tax) only.
- If Date of deduction is greater than Date of Payment/Credit, the same may result in Demand Notice for late deduction.
- If Date of deduction is less than Date of Payment/Credit, the same may result in Demand Notice for late deduction.
- If Date of furnishing Form 26QB is beyond prescribed due date, the same may attract late filing fee u/s 234E.

| | | | |
|--|--|--|--|
| Tax Applicable | 0021 | Assessment Year | 2018-19 |
| Minor Head Code | 800 | Financial Year | 2017-18 |
| Permanent Account No. (PAN) of Transferee(Payer/Buyer) | AAAJU0103A | Permanent Account No. (PAN) of Transferor (Payee/Seller) | AAATD5748E |
| Full Name of the Transferee | UTTAR PRADESH AWAS EVAM VIKAS PARISHAD | Full Name of the Transferor | DISTRICT CO OPERATIVE DEVELOPMENT FEDERATION LTD |
| Category of Transferee on the basis of PAN | Artificial Juridical Person | Category of Transferor on the basis of PAN | Association of Persons (Trusts) |
| Status of PAN as per ITD PAN Master | Active PAN | Status of PAN as per ITD PAN Master | Active PAN |

Complete Address of the Property Transferee

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Name of premises/Building/ Village | OFFICE OF EX ENGG CD-2 |
| Flat/Door/Block No. | UPAVP COMPLEX |
| Road/Street/Lane | INDIRA NAGAR |
| City/District | LUCKNOW |
| State | UTTAR PRADESH |
| Pin Code | 226016 |
| Email ID | cnmishra82@gmail.com |
| Mobile No. | 8795811840 |

Complete Address of the Property Transferor

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Name of premises/Building/ Village | 525, AYODHYA HOUSE |
| Flat/Door/Block No. | PATEL NAGAR |
| Road/Street/Lane | NEAR ROADWAYS BUS STAND |
| City/District | GONDA |
| State | UTTAR PRADESH |
| Pin Code | 271001 |
| Email ID | |
| Mobile No. | |

| | | | |
|---------------------------|------------|---|---------|
| Date of Agreement/Booking | 31/01/2018 | Whether more than one Transferee/Buyer | No |
| Date of Payment/Credit | 31/01/2018 | Whether more than one Transferor/Seller | No |
| Date of Tax Deduction | 31/01/2018 | Payment Type | Lumpsum |

Complete Address of the Property Transferred

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| Type of Property | Land |
| Name of premises/Building/ Village | VILL PURE SHIVA BAKTAWAR |
| Flat/Door/Block No. | |
| Road/Street/Lane | PARGANA TAHESIL GONDA |
| City/District | GONDA |
| State | UTTAR PRADESH |
| Pin Code | 271001 |

Tax Deposit Details

| | |
|----------------------------|--|
| Rate (in %) | 1 |
| Total Amount Paid/Credited | 48168000 |
| TDS Amount to be paid | 481680 |
| Interest | 0 |
| Fee | 0 |
| Total payment | 481680.00 |
| Value in words | Four Lakhs Eighty One Thousand Six Hundred Eighty Rupees and paise |

| | |
|---|----------------------|
| Total Value of Consideration (Property Value) | 48168000 |
| Mode of Payment | Online (Net-Banking) |
| Bank Name | HDFC Bank |

Note: This Acknowledgment is only for the information regarding TDS on Sale of Property submitted to Tax Information Network (TIN). This cannot be construed as proof of payment of taxes.

Deyalak

3/1/18

संयोजक
सहकारी विकास संघ लिमिटेड
गोण्डा

192

Name of the Assessee

UTTAR PRADESH AWAS EVAM VIKAS PARISHAD

PAN

A A A J U 0 1 0 3 A

Major Head

0021 - INCOME-TAX (OTHER THAN COMPANIES)

Minor Head

800 - TDS on Sale of Property

48168000
31012018
AAATD5748E
AE7813304
LUCKNOW

| Description of Tax | Amount in Rupees |
|--------------------|-------------------|
| Basic Tax | 481,680.00 |
| Surcharge | 0.00 |
| Education Cess | 0.00 |
| Penalty | 0.00 |
| Others | 0.00 |
| Interest | 0.00 |
| Fee | 0.00 |
| TOTAL | 481,680.00 |

HDFC BANK LIMITED

Challan No 280
BSR Code 0510308
Date of Receipt 03/02/2018
Challan Serial No 06655
Assessment Year 2018-19
Bank Reference 06655
Drawn On HDFC Bank Netbanking

Amount in Rupees (In words)

FOUR LAKH(S) EIGHTY ONE THOUSAND SIX HUNDRED EIGHTY ONLY

BSR Code

051030803021806655

Beneficiary Account No.

05941530003340

Payment Realization Date

03/02/2018 14:39:57

Please Save a copy of this Acknowledgement Receipt for your future reference.



सहायक
उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद
लखनऊ

